बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

कार्यालय
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

का0आ0सं0– 87 /पटना, दिनांक– 09/08/19

संयोप/सा0स्था0/सहायक परिचालक/41/2015 पार्ट–2

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना का का0आ0सं0–395 दिनांक–15.04.2015 के तहत संचरण संगठन में नियमित किये गये सहायक परिचालक ग्रेड–II का शैक्षणिक (आई0टी0आई0) योग्यता का सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना के पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 द्वारा संसूचित सत्यापन प्रतिवेदन के तहत संचरण जोन, पटना के अधीनस्थ कार्यालयो में कार्यरत निम्नांकित **सहायक परिचालक ग्रेड–II** कर्मियों का शैक्षणिक प्रमाण–पत्र फर्जी रहने तथा विभाग के साथ की गई जालसाजी के आरोप में (i) सहायक परिचालक (अनुबंध) पर नियोजन का कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 तथा 78 दिनांक–18.05.2010 के तहत अनुबंध नियोजन की तिथि से तथा (ii) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना का का0आ0सं0–395 दिनांक–15.04.2015 के तहत नियमितिकरण की तिथि से अर्थात् दिनांक–01.04.2015 से विभिन्न कार्यालय आदेशों के द्वारा नियोजन रद्द किया गया (निम्न विवरणी के कॉलम सं0–3 में वर्णित), को समादेश याचिका संख्या-1421/2019 [राजकमल एवं अन्य बनाम बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 एवं अन्य] में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक–16.05.2019 (कण्डिका–28) के अनुशरण में आदेश निर्गमन की तिथि से निरस्त किया जाता है। परन्तु, न्यायादेश (कण्डिका–30) के आलोक में संबंधित कर्मियो का कंपनी की सेवा में पुनर्बहाली मान्य नही होगी; –

क्र0सं0	नाम	कार्यालय आदेश
1	2	3
1	श्री शशि भूषण कुमार,	का0आ0सं0–26 दिनांक–21.02.2019
2	श्री सुशील कुमार यादव,	का0आ0सं0–27 दिनांक–21.02.2019
3	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह,	का0आ0सं0–28 दिनांक–21.02.2019
4	श्री प्रशान्त कुमार,	का0आ0सं0–29 दिनांक–21.02.2019
5	श्री मृत्युंजय कुमार मिश्रा	का0आ0सं0–30 दिनांक–21.02.2019
6	श्री मनोज कुमार,	का0आ0सं0–31 दिनांक–21.02.2019
7	श्री अरूण कुमार राय,	का0आ0सं0–32 दिनांक–21.02.2019
8	श्री चन्द्रशेखर सिंह,	का0आ0सं0–33 दिनांक–21.02.2019
9	श्री बलवन्त सिंह,	का0आ0सं0–34 दिनांक–21.02.2019
10	श्री विकाश कुमार,	का0आ0सं0–35 दिनांक–21.02.2019
11	श्री राजकमल,	का0आ0सं0–36 दिनांक–21.02.2019
12	श्री धीरज कुमार सिंह,	का0आ0सं0–37 दिनांक–21.02.2019
13	श्री मनमोहन सिंह यादव,	का0आ0सं0–38 दिनांक–21.02.2019
14	श्री अनिल कुमार	का0आ0सं0–39 दिनांक–21.02.2019
15	श्री गणेश प्रसाद,	का0आ0सं0–40 दिनांक–21.02.2019
16	श्री संतोष कुमार सिंह,	का0आ0सं0–41 दिनांक–21.02.2019
17	श्री अभय कुमार,	का0आ0सं0–42 दिनांक–21.02.2019
18	श्री गोरख राय,	का0आ0सं0–43 दिनांक–21.02.2019
19	श्री सोनु कुमार सिंह,	का0आ0सं0–44 दिनांक–21.02.2019

(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

कार्यालय
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

नोटिस

पत्रांक 1066 /पटना, दिनांक 07/08/19 /

संजोप/सहायक/सहायक परिचालक/41/2015 पार्ट–2

प्रेषक,

अभि0 अरूण कुमार चौधरी
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता,

निबंधित डाक

सेवा में,

श्री धीरज कुमार सिंह,
पुत्र– श्री नागेन्द्र सिंह,
ग्राम– जिगना, पो0–गोपुर,
थाना–गड़खा, जिला– सारण, छपरा (बिहार)

विषयः– **आई0 टी0 आई0 मूल शैक्षणिक प्रमाण–पत्र के सत्यापन के संबंध में नोटिस।**

प्रसंग :– 1. संचरण जोन, पटना का नियोजन सूचना सं0–01/09 एवं का0आ0सं0–37 दिनांक–21.02.2019
2. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना का का0आ0सं0–395 दिनांक–15.04.19

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के प्रासंगिक कार्यालय आदेश द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन दि0–01.04.2015 के प्रभाव से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 के अधीन सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर अनुबंध पर कार्य कर रहें कामगारो को सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर नियमितिकरण किया गया। नियमितिकरण का उक्त आदेश की कण्डिका–(VIII) में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट है– "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.".

उक्त कार्यालय आदेश के अंतिम पारा के तहत नियमित किये गये कामगारो को कण्डिका–(IX) में उल्लेखित अन्य अगलेखो को महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना के कार्यालय में दिनांक–30.04.2015 तक समर्पित करना था।

उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के क्रमांक–53 द्वारा आपका भी सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर नियमितिकरण किया गया। तदनुसार, निर्देशानुसार आपके एवं अन्य नियमित कामगारो द्वारा वांछित अभिलेखो सहित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति समर्पित किया गया, जिसका सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 **(क्रमांक–78)** द्वारा आपका आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र के संदर्भ में सूचित किया गया कि प्रमाण–पत्र **'निर्गत नहीं'** है।

चूँकि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार पटना के उक्त पत्रांक–2069 दिनांक– 16.09.2015 में कतिपय कर्मियो के संबंध में लिप्त लेखन परिलक्षित हुआ, तदनुसार उनके पत्र की सम्पुष्टि हेतु परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना से संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1311 दिनांक–22.09.2015 द्वारा अनुरोध किया गया। तदालोक में परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के **पत्रांक–167 दिनांक 15.02.2016 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** द्वारा आपका प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं0–59 दि0–16.09.2016 द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त वृत्तांत के लगभग दो वर्षो के बाद पुनः सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, नियोजन भवन, चतुर्थ तल, B ब्लॉक, बेली रोड़, पटना के पत्रांक–697 दि0–24.07.2018 द्वारा सम्पुष्ट किया गया कि श्री सिंह का (आपका) ITI प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र **जाली है एवं निर्गत नहीं** किया गया है।

288

तत्पश्चात उक्त दोनो सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक–1096 दि0 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना से मामले की पुनर्जांच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जिसके आलोक में उनके पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 के द्वारा गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त पत्र के **क्रम संख्या–33** द्वारा आपके संबंध में यह प्रतिवेदित किया गया है कि आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र **"निर्गत नहीं"** है तथा निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक–167 दि0–15.02.2016 फर्जी है तथा किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि आपके संबंध में निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से पूर्व में निर्गत पत्रांक–272 दि0–21.03.2016 भी फर्जी है।

विदित हो कि इसके पूर्व संचरण जोन, पटना के **नियोजन सूचना संख्या–01/09** के अन्तर्गत संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 के द्वारा आपका तथा अन्य अभ्यर्थियो का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध के रूप में नियोजन किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 की कंडिका–06 में निम्न शर्त विर्निदिष्ट था– "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

सम्प्रति, परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना के पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 द्वारा संसूचित प्रतिवेदन के आलोक में प्रकाश में आयी उपरोक्त तथ्यो के आधार पर आपका शैक्षणिक प्रमाण–पत्र फर्जी रहने तथा आपके द्वारा किये गये जालसाजी के आरोप के मामले में सम्यकपूर्वक पूर्ण समीक्षोपरान्त संचरण जोन, पटना के **का0आ0सं0–37 दिनांक–21.02.2019** द्वारा (i) सहायक परिचालक (अनुबंध) पर नियोजन का कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 की कंडिका–06 के आलोक में आपके संविदा नियोजन की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से तथा (ii) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना का का0आ0सं0–395 दिनांक–15.04.2015 की कण्डिका–VIII में निहित शर्त के अधीन नियमितिकरण की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से आपका नियोजन रदद कर दिया गया।

नियोजन रदद किये जाने का आदेश के विरुद्ध दायर CWJC N0-1421/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक–16.05.2019 को पारित आदेश के आलोक में **का0आ0सं0–37 दिनांक–21.02.2019** को को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है परन्तु न्यायादेशानुसार इसका आशय कंपनी की सेवा में आपकी पुनर्बहाली नही होगी। साथ ही न्याय निर्णय अनुसार आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को त्रुटिपूर्ण/फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में आपको अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया हैं।

अतएव एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक–27.08.2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में अपना लिखित जबाव, मूल आई0टी0आई प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश की मूल/सत्यापित प्रति एवं अपना वैध पहचान–पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय–कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित तिथि एवं समय को आप बिना उपर्युक्त कारण के अनुपस्थित रहते है तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है एवं तदनुसार नियमसांगत कार्रवाई की जायेगी। अपना पक्ष रखने हेतु संचरण जोन, पटना में स–समय उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

(अरूप कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

नोटिस

पत्रांक— 1065 /पटना, दिनांक— 07/08/19 /
संजोप/स्थापना/सहायक परिचालक/41/2015 पार्ट–2

प्रेषक,

अभि0 अरूण कुमार चौधरी
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता,

निबंधित डाक — सेवा में,

श्री बलवन्त सिंह,
पुत्र– श्री रामेश्वर सिंह,
ग्राम– बसाढ़ी, पो0– गुरूकुल मेहिया
जिला–छपरा, सारण (बिहार)

विषयः— आई0 टी0 आई0 मूल शैक्षणिक प्रमाण–पत्र के सत्यापन के संबंध में नोटिस।

प्रसंग :— 1. संचरण जोन, पटना का नियोजन सूचना सं0–01/09 एवं का0आ0सं0–34 दिनांक–21.02.2019
2. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना का का0आ0सं0–395 दिनांक–15.04.19

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के प्रासंगिक कार्यालय आदेश द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन दि0–01.04.2015 के प्रभाव से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 के अधीन सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर अनुबंध पर कार्य कर रहे कामगारो को सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर नियमितिकरण किया गया। नियमितिकरण का उक्त आदेश की कण्डिका–(VIII) में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट है:– "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.".

उक्त कार्यालय आदेश के अंतिम पारा के तहत नियमित किये गये कामगारो को कण्डिका–(IX) में उल्लेखित अन्य अभिलेखो को महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना के कार्यालय में दिनांक–30.04.2015 तक समर्पित करना था।

उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के क्रमांक–31 द्वारा आपका भी सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर नियमितिकरण किया गया। तदनुसार, निर्देशानुसार आपके एवं अन्य नियमित कामगारो द्वारा वांछित अभिलेखो सहित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति समर्पित किया गया, जिसका सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 **(क्रमांक–01)** द्वारा आपका आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र के संदर्भ में सूचित किया गया कि प्रमाण–पत्र **"निर्गत नहीं"** है।

चूँकि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार पटना के उक्त पत्रांक–2069 दिनांक– 16.09.2015 में कतिपय कर्मियो के संबंध में लिप्त लेखन परिलक्षित हुआ, तदनुसार उनके पत्र की सम्पुष्टि हेतु परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना से संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1311 दिनांक–22.09.2015 द्वारा अनुरोध किया गया। तदालोक में परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के **पत्रांक–165 दिनांक 16.02.2016 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** द्वारा आपका प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं0–59 दि0–16.09.2016 द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त वृतांत के लगभग दो वर्षो के बाद पुनः सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, नियोजन भवन, चतुर्थ तल, B ब्लॉक, बेली रोड, पटना के पत्रांक–697 दि0–24.07.2018 द्वारा सम्पुष्ट किया गया कि श्री सिंह का (आपका) ITI प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र **जाली है** एवं **निर्गत नहीं** किया गया है।

386

तत्पश्चात उक्त दोनो सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक–1096 दि0 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना से मामले की पुनर्जांच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जिसके आलोक में उनके पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 के द्वारा गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त पत्र के **क्रम संख्या–30** द्वारा आपके संबंध में यह प्रतिवेदित किया गया है कि आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र **"निर्गत नहीं"** है तथा निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक–165 दि0–15.02.2016 फर्जी है तथा किरी रतर पर जालसाजी की जा रही है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि आपके संबंध में निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से पूर्व में निर्गत पत्रांक–272 दि0–21.03.2016 भी फर्जी है।

विदित हो कि इसके पूर्व संचरण जोन, पटना के **नियोजन सूचना संख्या–01/09** के अन्तर्गत संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–78 दिनांक–18.05.2010 के द्वारा आपका तथा अन्य अभ्यर्थियो का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध के रूप में नियोजन किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश संख्या–78 दिनांक–18.05.2010 की कंडिका–06 में निम्न शर्त विर्निदिष्ट था– "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

सम्प्रति, परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना के पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 द्वारा संसूचित प्रतिवेदन के आलोक में प्रकाश में आयी उपरोक्त तथ्यो के आधार पर आपका शैक्षणिक प्रमाण–पत्र फर्जी रहने तथा आपके द्वारा किये गये जालसाजी के आरोप के मामले में सम्यकपूर्वक पूर्ण सुनीशोपरान्त संचरण जोन, पटना के **का0आ0सं0–34 दिनांक–21.02.2019** द्वारा (i) सहायक परिचालक (अनुबंध) पर नियोजन का कार्यालय आदेश संख्या–78 दिनांक–18.05.2010 की कंडिका–06 के आलोक में आपके संविदा नियोजन की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से तथा (ii) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना का का0आ0सं0–395 दिनांक–15.04.2015 की कण्डिका–(VIII) में निहित शर्त के अधीन नियमितिकरण की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से आपका नियोजन रदद कर दिया गया।

नियोजन रदद किये जाने का आदेश के विरूद्ध दायर CWJC N0-1421/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक–16.05.2019 को पारित आदेश के आलोक में **का0आ0सं0–34 दिनांक–21.02.2019** को को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। परन्तु न्यायादेशानुसार इसका आशय कंपनी की सेवा में आपकी पुनर्बहाली नही होगी। साथ ही न्याय आदेश के अनुपालन में आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को त्रुटिपूर्ण/फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में आपको अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया हैं।

अतएव एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक–28.08.2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में अपना लिखित जवाब, मूल आई0टी0आई प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश की मूल/सत्यापित प्रति एवं अपना वैध पहचान–पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय–कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित तिथि एवं समय को आप बिना उपर्युक्त कारण के अनुपस्थित रहते है तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है एवं तदनुसार नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी। अपना पक्ष रखने हेतु संचरण जोन, पटना में स–समय उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

385

नोटिस

पत्रांक 1064 /पटना, दिनांक 07/08/19 /

संजोप/का0आ0/सहायक परिचालक/41/2015 पार्ट-2

प्रेषक,

अभि0 अरूण कुमार चौधरी
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता,

निबंधित डाक

सेवा में,

श्री विकाश कुमार,
पुत्र– श्री विजय कुमार सिंह,
ग्राम– भलुआ शंकरडीह, पो0– भलुआ भिखारी
थाना– शंकरडीह, जिला–छपरा, सारण (बिहार)

विषयः– **आई0 टी0 आई0 मूल शैक्षणिक प्रमाण–पत्र के सत्यापन के संबंध में नोटिस।**

प्रसंग :– 1. संचरण जोन, पटना का नियोजन सूचना सं0–01/09 एवं का0आ0सं0–35 दिनांक–21.02.2019
2. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना का का0आ0सं0–395 दिनांक–15.04.19

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के प्रासंगिक कार्यालय आदेश द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन दि0–01.04.2015 के प्रभाव से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 के अधीन सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर अनुबंध पर कार्य कर रहें कामगारो को सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर नियमितिकरण किया गया। नियमितिकरण का उक्त आदेश की कण्डिका–(VIII) में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट है:– "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.".

उक्त कार्यालय आदेश के अंतिम पारा के तहत नियमित किये गये कामगारो को कण्डिका–(IX) में उल्लेखित अन्य अभिलेखो को महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना के कार्यालय में दिनांक–30.04.2015 तक समर्पित करना था।

उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के क्रमांक–34 द्वारा आपका भी सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर नियमितिकरण किया गया। तदनुसार, निर्देशानुसार आपके एवं अन्य नियमित कामगारो द्वारा वांछित अभिलेखो सहित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति समर्पित किया गया, जिसका सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 **(क्रमांक–79)** द्वारा आपका आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र के संदर्भ में सूचित किया गया कि प्रमाण–पत्र **"निर्गत नहीं"** है।

चूँकि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार पटना के उक्त पत्रांक–2069 दिनांक– 16.09.2015 में कतिपय कर्मियो के संबंध में लिप्त लेखन परिलक्षित हुआ, तदनुसार उनके पत्र की सम्पुष्टि हेतु परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना से संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1311 दिनांक–22.09.2015 द्वारा अनुरोध किया गया। तदालोक में परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के **पत्रांक–157 दिनांक 15.02.2016 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** द्वारा आपका प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं0–59 दि0–16.09.2016 द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त वृत्तांत के लगभग दो वर्षो के बाद पुनः सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, नियोजन भवन, चतुर्थ तल, B ब्लॉक, बेली रोड़, पटना के पत्रांक–697 दि0–24.07.2018 द्वारा सम्पुष्ट किया गया कि श्री कुमार का (आपका) ITI प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र **जाली है** एवं **निर्गत नहीं** किया गया है।

384

तत्पश्चात उक्त दोनो सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक–1096 दि0 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना से मामले की पुनर्जांच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जिसके आलोक में उनके पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 के द्वारा गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त पत्र के **क्रम संख्या–31** द्वारा आपके संबंध में यह प्रतिवेदित किया गया है कि आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र **"निर्गत नहीं"** है तथा निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक–157 दि0–16.02.2016 फर्जी है तथा किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि आपके संबंध में निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से पूर्व में निर्गत पत्रांक–272 दि0–21.03.2016 भी फर्जी है।

विदित हो कि इसके पूर्व संचरण जोन, पटना के **नियोजन सूचना संख्या–01/09** के अन्तर्गत संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 के द्वारा आपका तथा अन्य अभ्यर्थियो का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध के रूप में नियोजन किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 की कंडिका–06 में निम्न शर्त विर्निदिष्ट था– "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

सम्प्रति, परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना के पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 द्वारा संसूचित प्रतिवेदन के आलोक में प्रकाश में आयी उपरोक्त तथ्यो के आधार पर आपका शैक्षणिक प्रमाण–पत्र फर्जी रहने तथा आपके द्वारा किये गये जालसाजी के आरोप के मामले में सम्यकपूर्वक पूर्ण समीक्षोपरान्त संचरण जोन, पटना के **का0आ0सं0–35 दिनांक–21.02.2019** द्वारा (i) सहायक परिचालक (अनुबंध) पर नियोजन का कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 की कंडिका–06 के आलोक में आपके संविदा नियोजन की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से तथा (ii) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना का का0आ0सं0–395 दिनांक–15.04.2015 की कण्डिका–(VIII) में निहित शर्त के अधीन नियमितिकरण की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से आपका नियोजन रदद कर दिया गया।

नियोजन रदद किये जाने का आदेश के विरूद्ध दायर CWJC N0-1421/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक–16.05.2019 को पारित आदेश के आलोक में **का0आ0सं0–35 दिनांक–21.02.2019** को को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। परन्तु न्यायादेशानुसार इसका आशय कंपनी की सेवा में आपकी पुनर्बहाली नही होगी। साथ ही न्याय आदेश के अनुपालन में आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को त्रुटिपूर्ण/फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में आपको अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया हैं।

अतएव एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक–28.08.2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में अपना लिखित जबाव, मूल आई0टी0आई प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश की मूल/सत्यापित प्रति एवं अपना वैध पहचान–पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय–कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित तिथि एवं समय को आप बिना उपर्युक्त कारण के अनुपस्थित रहते है तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है एवं तदनुसार नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी। अपना पक्ष रखने हेतु संचरण जोन, पटना में स–समय उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

नोटिस

पत्रांक— 1063 /पटना, दिनांक— 07/08/19 /
संजोप/सा०प्रा०/सहायक परिचालक/41/2015 पार्ट–2

प्रेषक,

अभि० अरूण कुमार चौधरी
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता,

निबंधित डाक

सेवा में,

श्री सोनु कुमार सिंह,
पुत्र– श्री भागीरथ सिंह
ग्राम– बदुराही, पो०–सोनपुर
थाना–सोनपुर, जिला–छपरा, सारण (बिहार)

विषयः– **आई० टी० आई० मूल शैक्षणिक प्रमाण–पत्र के सत्यापन के संबंध में नोटिस।**

प्रसंग :– 1. संचरण जोन, पटना का नियोजन सूचना सं०–01/09 एवं का०आ०सं०–44 दिनांक–21.02.2019
2. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०, पटना का का०आ०सं०–395 दिनांक–15.04.19

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के प्रासंगिक कार्यालय आदेश द्वारा उसमें विर्निदिष्ट शर्तो के अधीन दि०–01.04.2015 के प्रभाव से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० के अधीन सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर अनुबंध पर कार्य कर रहें कामगारो को सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद नियमितिकरण किया गया। नियमितिकरण का उक्त आदेश की कण्डिका–(VIII) में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट है:– "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.".

उक्त कार्यालय आदेश के अंतिम पारा के तहत नियमित किये गये कामगारो को कण्डिका–(IX) में उल्लेखित अन्य अभलेखो को महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना के कार्यालय में दिनांक–30.04.2015 तक समर्पित करना था।

उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के क्रमांक–157 द्वारा आपका भी सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर नियमितिकरण किया गया। तदनुसार, निर्देशानुसार आपके एवं अन्य नियमित कामगारो द्वारा वांछित अभिलेखो सहित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति समर्पित किया गया, जिसका सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 **(क्रमांक–92)** द्वारा आपका आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र के संदर्भ में सूचित किया गया कि प्रमाण–पत्र **"निर्गत नहीं"** है।

चूँकि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार पटना के उक्त पत्रांक–2069 दिनांक– 16.09.2015 में कतिपय कर्मियो के संबंध में लिप्त लेखन परिलक्षित हुआ, तदनुसार उनके पत्र की सम्पुष्टि हेतु परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना से संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1311 दिनांक–22.09.2015 द्वारा अनुरोध किया गया। तदालोक में परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के पत्रांक–163 दिनांक–15.02.2016 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016 द्वारा आपका प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं०–59 दि०–16.09.2016 द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त वृत्तांत के लगभग दो वर्षो के बाद पुनः सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, नियोजन भवन, चतुर्थ तल, B ब्लॉक, बेली रोड, पटना के पत्रांक–697 दि0–24.07.2018 द्वारा सम्पुष्ट किया गया कि श्री सिंह का (आपका) ITI प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र **जाली है** एवं **निर्गत नहीं** किया गया है।

तत्पश्चात उक्त दोनो सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक–1096 दि0 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना से मामले की पुनर्जांच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जिसके आलोक में उनके पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 के द्वारा गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त पत्र के **क्रम संख्या–39** द्वारा आपके संबंध में यह प्रतिवेदित किया गया है कि आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र **"निर्गत नहीं"** है तथा निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक–163 दि0–15.02.2016 फर्जी है, तथा किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि आपके संबंध में निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से पूर्व में निर्गत पत्रांक–272 दि0–21.03.2016 भी फर्जी है।

विदित हो कि इसके पूर्व संचरण जोन, पटना के **नियोजन सूचना संख्या–01/09** के अन्तर्गत संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 के द्वारा आपका तथा अन्य अभ्यर्थियो का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध के रूप में नियोजन किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 की कंडिका–06 में निम्न शर्त निर्निदिष्ट था– "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

सम्प्रति, परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना के पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 द्वारा संसूचित प्रतिवेदन के आलोक में प्रकाश में आयी उपरोक्त तथ्यो के आधार पर आपका शैक्षणिक प्रमाण–पत्र फर्जी रहने तथा आपके द्वारा किये गये जालसाजी के आरोप के मामले में सम्यकपूर्वक पूर्ण समीक्षोपरान्त संचरण जोन, पटना के **का0आ0सं0–44 दिनांक–21.02.2019** द्वारा (i) सहायक परिचालक (अनुबंध) पर नियोजन का कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 की कंडिका–06 के आलोक में आपके संविदा नियोजन की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से तथा (ii) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना का का0आ0सं0–395 दिनांक–15.04.2015 की कण्डिका–VIII में निहित शर्त के अधीन नियमितिकरण की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से आपका नियोजन रदद कर दिया गया।

नियोजन रदद किये जाने का आदेश के विरूद्व दायर CWJC N0-1421/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक–16.05.2019 को पारित आदेश के आलोक में **का0आ0सं0–44 दिनांक–21.02.2019** को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। परन्तु न्यायादेशानुसार इसका आशय कंपनी की सेवा में आपकी पुनर्बहाली नही होगी। साथ ही न्याय आदेश के अनुपालन में आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को त्रुटिपूर्ण/फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में आपको अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया हैं।

अतएव एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक–26.08.2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में अपना लिखित जबाव, मूल आई0टी0आई प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश की मूल/सत्यापित प्रति एवं अपना वैध पहचान–पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय–कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित तिथि एवं समय को आप बिना उपर्युक्त कारण के अनुपस्थित रहते है तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है एवं तदनुसार नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी। अपना पक्ष रखने हेतु संचरण जोन, पटना में स–समय उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,

(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

नोटिस

पत्रांक– 1062 /पटना, दिनांक– 07/08/19 /

संजीप/स्था0/सहायक परिचालक/41/2015 पार्ट–2

प्रेषक,

अभि0 अरूण कुमार चौधरी
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता,

निबंधित डाक

सेवा में,

श्री शशि भूषण कुमार,
पुत्र– श्री बच्चा सिंह
ग्राम– ककरहट, पो0–ककरहट
जिला–सारण, छपरा (बिहार)।

विषयः– **आई0 टी0 आई0 मूल शैक्षणिक प्रमाण–पत्र के सत्यापन के संबंध में नोटिस।**

प्रसंग :– 1. संचरण जोन, पटना का नियोजन सूचना सं0–01/09 एवं का0आ0सं0–26 दिनांक–21.02.2019
2. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना का का0आ0सं0–395 दिनांक–15.04.19।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के प्रासंगिक कार्यालय आदेश द्वारा उसमें विर्निर्दिष्ट शर्तो के अधीन दि0–01.04.2015 के प्रभाव से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 के अधीन सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर अनुबंध पर कार्य कर रहे कामगारो को सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर नियमितिकरण किया गया। नियमितिकरण का उक्त आदेश की कण्डिका–(VIII) में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट है:– "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.".

उक्त कार्यालय आदेश के अंतिम पारा के तहत नियमित किये गये कामगारो को कण्डिका–(IX) में उल्लेखित अन्य अभलेखो को महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना के कार्यालय में दिनांक–30.04.2015 तक समर्पित करना था।

उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के क्रमांक–150 द्वारा आपका भी सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर नियमितिकरण किया गया। तदनुसार, निर्देशानुसार आपके एवं अन्य नियमित कामगारो द्वारा वांछित अभिलेखो सहित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति समर्पित किया गया, जिसका सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 **(कमांक–53)** द्वारा सूचित किया गया कि आपका आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र **"निर्गत नहीं"** है।

चूँकि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार पटना के उक्त पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 में अन्य कतिपय कर्मियो के संबंध में लिप्त लेखन परिलक्षित हुआ, तदनुसार उनके पत्र की सम्पुष्टि हेतु परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना से संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1311 दिनांक–22.09.2015 द्वारा अनुरोध किया गया। इसके पश्चात परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के **पत्रांक–156 दिनांक 15.02.2016 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** द्वारा आपका प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं0–59 दि0–16.09.2016 द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त वृत्तांत के लगभग दो वर्षो के बाद पुनः सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, नियोजन भवन, चतुर्थ तल, B ब्लॉक, बेली रोड़, पटना के पत्रांक–697 दि0–24.07.2018 द्वारा

3560

सम्पुष्ट किया गया कि श्री कुमार का (आपका) III प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र **जाली है** एवं **निर्गत नहीं** किया गया है।

तत्पश्चात उक्त दोनो सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक–1096 दि0 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना से मामले की पुनर्जांच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जिसके आलोक में उनके पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 के द्वारा गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त पत्र के **क्रम संख्या–38** द्वारा आपके संबंध में यह प्रतिवेदित किया गया है कि आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र **"निर्गत नहीं"** है तथा निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत **पत्रांक–156 दिनांक–15.02.2016** फर्जी है तथा किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि आपके संबंध में निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से पूर्व में निर्गत पत्रांक–**272 दिनांक– 21.03.2016** भी फर्जी है।

विदित हो कि इसके पूर्व संचरण जोन, पटना के **नियोजन सूचना संख्या–01/09** के अन्तर्गत संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 के द्वारा आपका तथा अन्य अभ्यर्थियो का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध के रूप में नियोजन किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 की कंडिका–06 में निम्न शर्त विर्निदिष्ट था– "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

सम्प्रति, परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना के पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 द्वारा संसूचित प्रतिवेदन के आलोक में प्रकाश में आयी उपरोक्त तथ्यो के आधार पर आपका शैक्षणिक प्रमाण–पत्र फर्जी रहने तथा किये गये जालसाजी के आरोप के मामले में सम्यकपूर्वक पूर्ण समीक्षोपरान्त संचरण जोन, पटना के **का0आ0सं0–26 दिनांक–21.02.2019** द्वारा (i) सहायक परिचालक (अनुबंध) पर नियोजन का कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 की कंडिका–06 के आलोक में आपके संविदा नियोजन की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से तथा (ii) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना का का0आ0सं0–395 दिनांक–15.04.2015 की कण्डिका–(VIII) में निहित शर्त के अधीन नियमितिकरण की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से आपका नियोजन रदद कर दिया गया।

नियोजन रदद किये जाने का आदेश के विरूद्ध दायर CWJC N0-1421/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक–16.05.2019 को पारित आदेश के आलोक में **का0आ0सं0–26 दिनांक–21.02.2019** को निरस्त किया गया है। परन्तु, न्यायादेशानुसार इसका आशय कंपनी की सेवा में आपकी पुनर्बहाली नही होगी। साथ ही न्याय आदेश के अनुपालन में आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को त्रुटिपूर्ण/फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में आपको अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया हैं।

अतएव एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक–30.08.2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में अपना लिखित जबाव, मूल आई0टी0आई प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश की मूल/सत्यापित प्रति एवं अपना वैध पहचान–पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय–कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित तिथि एवं समय को आप बिना उपर्युक्त कारण के अनुपस्थित रहते है तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नही कहना हैं एवं तदनुसार नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी। अपना पक्ष रखने हेतु संचरण जोन, पटना में स–समय उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

नोटिस

पत्रांक 1061 / पटना, दिनांक 07/08/19 /
संजोप/साथशा/सहायक परिचालक/41/2015 पार्ट–2

प्रेषक,

अभि0 अरूण कुमार चौधरी
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता,

निबंधित डाक

सेवा में,

श्री प्रशान्त कुमार,
पुत्र– श्री सुरेश प्रसाद
ग्राम– महेन्द्रपुर, पो0–हाथीदह
थाना– हाथीदह – जिला–पटना, (बिहार)।

विषयः– **आई0 टी0 आई0 मूल शैक्षणिक प्रमाण–पत्र के सत्यापन के संबंध में नोटिस।**

प्रसंग :– 1. संचरण जोन, पटना का नियोजन सूचना सं0–01/09 एवं का0आ0सं0–29 दिनांक–21.02.2019
2. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना का का0आ0सं0–395 दिनांक–15.04.19

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के प्रासंगिक कार्यालय आदेश द्वारा उसमें विर्निर्दिष्ट शर्तों के अधीन दि0–01.04.2015 के प्रभाव से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 के अधीन सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर अनुबंध पर कार्य कर रहें कामगारो को सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर नियमितिकरण किया गया। नियमितिकरण का उक्त आदेश की कण्डिका–(VIII) में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट है:– "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.".

उक्त कार्यालय आदेश के अंतिम पारा के तहत नियमित किये गये कामगारो को कण्डिका–(IX) में उल्लेखित अन्य अभिलेखो को महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना के कार्यालय में दिनांक–30.04.2015 तक समर्पित करना था।

उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के क्रमांक–103 द्वारा आपका भी सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर नियमितिकरण किया गया। तदनुसार, निर्देशानुसार आपके एवं अन्य नियमित कामगारो द्वारा वांछित अभिलेखो सहित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति समर्पित किया गया, जिसका सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 (**क्रमांक–81**) द्वारा आपके आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र के संदर्भ में सूचित किया गया कि इनका प्रमाण–पत्र **"निर्गत नहीं"** है।

चूँकि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार पटना के उक्त पत्रांक–2069 दिनांक– 16.09.2015 में कतिपय कर्मियो के संबंध में लिप्त लेखन परिलक्षित हुआ, तदनुसार उनके पत्र की सम्पुष्टि हेतु परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना से संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1311 दिनांक–22.09.2015 द्वारा अनुरोध किया गया। तदालोक में परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के **पत्रांक–215 दिनांक 02.03.2016 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** द्वारा आपका प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं0–59 दि0–16.09.2016 द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त वृत्तांत के लगभग दो वर्षो के बाद पुनः सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, नियोजन भवन, चतुर्थ तल, B ब्लॉक, बेली रोड, पटना के पत्रांक–697 दि0–24.07.2018 द्वारा सम्पुष्ट किया गया कि श्री **कुमार** का (आपका) ITI प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र **जाली है** एवं **निर्गत नहीं** किया गया है।

378

तत्पश्चात उक्त दोनो सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक–1096 दि0 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना से मामले की पुनर्जांच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जिसके आलोक में उनके पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 के द्वारा गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त पत्र के **क्रम संख्या–22** द्वारा आपके संबंध में यह प्रतिवेदित किया गया है कि आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/ अंक पत्र **"निर्गत नहीं"** है तथा निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक–215 दि0–02.03.2016 फर्जी है तथा किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि आपके संबंध में निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से पूर्व में निर्गत पत्रांक–272 दि0–21.03.2016 भी फर्जी है।

विदित हो कि इसके पूर्व संचरण जोन, पटना के **नियोजन सूचना संख्या–01/09** के अन्तर्गत संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 के द्वारा आपका तथा अन्य अभ्यर्थियो का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध के रूप में नियोजन किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 की कंडिका–06 में निम्न शर्त विर्निदिष्ट था– "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

सम्प्रति, परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना के पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 द्वारा संसूचित प्रतिवेदन के आलोक में प्रकाश में आयी उपरोक्त तथ्यो के आधार पर आपका शैक्षणिक प्रमाण–पत्र फर्जी रहने तथा आपके द्वारा किये गये जालसाजी के आरोप के मामले में सम्यकपूर्वक पूर्ण समीक्षोपरान्त संचरण जोन, पटना के **का0आ0सं0–29 दिनांक–21.02.2019** द्वारा (i) सहायक परिचालक (अनुबंध) पर नियोजन का कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 की कंडिका–06 के आलोक में आपके संविदा नियोजन की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से तथा (ii) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना का का0आ0सं0–395 दिनांक–15.04.2015 की कण्डिका–(VIII) में निहित शर्त के अधीन नियमितिकरण की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से आपका नियोजन रदद कर दिया गया।

नियोजन रदद किये जाने का आदेश के विरूद्व दायर CWJC N0-1421/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक–16.05.2019 को पारित आदेश के आलोक में **का0आ0सं0–29 दिनांक–21.02.2019** को को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। परन्तु न्यायादेशानुसार इसका आशय कंपनी की सेवा में आपकी पुनर्बहाली नही होगी। साथ ही न्याय आदेश के अनुपालन में आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को त्रुटिपूर्ण/फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में आपको अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया हैं।

अतएव एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक–29.08.2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में अपना लिखित जबाव, मूल आई0टी0आई प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश की मूल/सत्यापित प्रति एवं अपना वैध पहचान–पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय–कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित तिथि एवं समय को आप बिना उपर्युक्त कारण के अनुपस्थित रहते है तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है एवं तदनुसार नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी। अपना पक्ष रखने हेतु संचरण जोन, पटना में स–समय उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता

(377)

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

नोटिस

पत्रांक 1060 संजोन/सापका/सहायक परिचालक/41/2015 पार्ट-2 /पटना, दिनांक 07/08/19

प्रेषक,

अभि० अरूण कुमार चौधरी
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता,

निबंधित डाक

सेवा में,

श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह,
पुत्र– श्री विरबहादुर सिंह
ग्राम– अलेख टोला, पो०–गरीबा टोला
थाना– रिविलगंज– जिला–सारण, छपरा (बिहार)।

विषयः– **आई० टी० आई० मूल शैक्षणिक प्रमाण–पत्र के सत्यापन के संबंध में नोटिस।**

प्रसंग :– 1. संचरण जोन, पटना का नियोजन सूचना सं0–01/09 एवं का0आ0सं0–28 दिनांक–21.02.2019
2. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना का का0आ0सं0–395 दिनांक–15.04.19

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के प्रासंगिक कार्यालय आदेश द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन दि0–01.04.2015 के प्रभाव से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 के अधीन सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर अनुबंध पर कार्य कर रहें कामगारो को सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर नियमितिकरण किया गया। नियमितिकरण का उक्त आदेश की कण्डिका–(VIII) में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट है:– "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.".

उक्त कार्यालय आदेश के अंतिम पारा के तहत नियमित किये गये कामगारो को कण्डिका–(IX) में उल्लेखित अन्य अभलेखो को महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना के कार्यालय में दिनांक–30.04.2015 तक समर्पित करना था।

उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के क्रमांक–149 द्वारा आपका भी सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर नियमितिकरण किया गया। तदनुसार, निर्देशानुसार आपके एवं अन्य नियमित कामगारो द्वारा वांछित अभिलेखो सहित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति समर्पित किया गया, जिसका सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 (**कमांक–54**) द्वारा आपके आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र के संदर्भ में सूचित किया गया कि इनका प्रमाण–पत्र **"निर्गत नहीं"** है।

चूँकि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार पटना के उक्त पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 में कतिपय कर्मियो के संबंध में लिपा लेखन परिलक्षित हुआ, तदनुसार उनके पत्र की सम्पुष्टि हेतु परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना से संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1311 दिनांक–22.09.2015 द्वारा अनुरोध किया गया। तदालोक में परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के **पत्रांक–161 दिनांक 15.02.2016 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** द्वारा आपका प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं0–59 दि0–16.09.2016 द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त वृत्तांत के लगभग दो वर्षो के बाद पुनः सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, नियोजन भवन, चतुर्थ तल, B ब्लॉक, बेली रोड, पटना के पत्रांक–697 दि0–24.07.2018 द्वारा

376

सम्पुष्ट किया गया कि श्री सिंह का (आपका) ITI प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र **जाली है** एवं **निर्गत नहीं** किया गया है।

तत्पश्चात उक्त दोनो सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक–1096 दि0 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना से मामले की पुनर्जांच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जिसके आलोक में उनके पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 के द्वारा गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त पत्र के **क्रम संख्या–37** द्वारा आपके संबंध में यह प्रतिवेदित किया गया है कि आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र **"निर्गत नहीं"** है तथा निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक–161 दि0–15.02.2016 फर्जी है तथा किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि आपके संबंध में निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से पूर्व में निर्गत पत्रांक–272 दि0–21.03.2016 भी फर्जी है।

विदित हो कि इसके पूर्व संचरण ज़ोन, पटना के **नियोजन सूचना संख्या–01/09** के अन्तर्गत संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 के द्वारा आपका तथा अन्य अभ्यर्थियो का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध के रूप में नियोजन किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 की कंडिका–06 में निम्न शर्त विर्निदिष्ट था– "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

सम्प्रति, परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना के पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 द्वारा संसूचित प्रतिवेदन के आलोक में प्रकाश में आयी उपरोक्त तथ्यो के आधार पर आपका शैक्षणिक प्रमाण–पत्र फर्जी रहने तथा आपके द्वारा किये गये जालसाजी के आरोप के मामले में सम्यकपूर्वक पूर्ण समीक्षोपरान्त संचरण जोन, पटना के **का0आ0सं0–28 दिनांक–21.02.2019** द्वारा (i) सहायक परिचालक (अनुबंध) पर नियोजन का कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 की कंडिका–06 के आलोक में आपके संविदा नियोजन की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से तथा (ii) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना का का0आ0सं0–395 दिनांक–15.04.2015 की कण्डिका–(VIII) में निहित शर्त के अधीन नियमितिकरण की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से आपका नियोजन रदद कर दिया गया।

नियोजन रदद किये जाने का आदेश के विरूद्व दायर CWJC N0-1421/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक–16.05.2019 को पारित आदेश के आलोक में **का0आ0सं0–28 दिनांक–21.02.2019** को को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। परन्तु न्यायादेशानुसार इसका आशय कंपनी की सेवा में आपकी पुनर्बहाली नही होगी। साथ ही न्यायदेश के अनुपालन में आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को त्रुटिपूर्ण/फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में आपको अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया हैं।

अतएव एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक–30.08.2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में अपना लिखित जबाव, मूल आई0टी0आई प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश की मूल/सत्यापित प्रति एवं अपना वैध पहचान–पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय–कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित तिथि एवं समय को आप बिना उपर्युक्त कारण के अनुपस्थित रहते है तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है एवं तदनुसार नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी। अपना पक्ष रखने हेतु संचरण जोन, पटना में स–समय उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,

(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

नोटिस

पत्रांक 1059 /पटना, दिनांक 07/08/19 /

संजोप/सा0शा0/सहायक परिचालक/41/2015 पार्ट–2

प्रेषक,

अभि0 अरूण कुमार चौधरी
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता,

निबंधित डाक

सेवा में,

श्री सुशील कुमार यादव,
पुत्र– श्री सुरेन्द्र यादव
ग्राम– डुमरी, पो0–डुमरी अड्डा
थाना– डोरीगंज जिला–सारण, छपरा (बिहार)।

विषयः– **आई0 टी0 आई0 मूल शैक्षणिक प्रमाण–पत्र के सत्यापन के संबंध में।**

प्रसंग :– 1. संचरण जोन, पटना का नियोजन सूचना सं0–01/09 एवं का0आ0सं0–27 दिनांक–21.02.2019
2. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना का का0आ0सं0–395 दिनांक–15.04.19

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के प्रासंगिक कार्यालय आदेश द्वारा उसमें विर्निर्दिष्ट शर्तो के अधीन दि0–01.04.2015 के प्रभाव से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 के अधीन सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर अनुबंध पर कार्य कर रहें कामगारो को सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर नियमितिकरण किया गया। नियमितिकरण का उक्त आदेश की कण्डिका–(VIII) में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट है:– "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.".

उक्त कार्यालय आदेश के अंतिम पारा के तहत नियमित किये गये कामगारो को कण्डिका–(IX) में उल्लेखित अन्य अभलेखो को महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना के कार्यालय में दिनांक–30.04.2015 तक समर्पित करना था।

उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के क्रमांक–164 द्वारा आपका भी सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर नियमितिकरण किया गया। तदनुसार, निर्देशानुसार आपके एवं अन्य नियमित कामगारो द्वारा वांछित अभिलेखो सहित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति समर्पित किया गया, जिसका सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 **(क्रमांक–67)** द्वारा सूचित किया गया कि आपका आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र **"निर्गत नहीं"** है।

चूँकि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार पटना के उक्त पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 में अन्य कतिपय कर्मियो के संबंध में लिप्त लेखन परिलक्षित हुआ, तदनुसार उनके पत्र की सम्पुष्टि हेतु परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना से संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1311 दिनांक–22.09.2015 द्वारा अनुरोध किया गया। इसके पश्चात परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के **पत्रांक–159 दिनांक 15.02.2016 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** द्वारा आपका प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं0–59 दि0–16.09.2016 द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त वृत्तांत के लगभग दो वर्षो के बाद पुनः सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, नियोजन भवन, चतुर्थ तल, B ब्लॉक, बेली रोड़, पटना के पत्रांक–697 दि0–24.07.2018 द्वारा

374

सम्पुष्ट किया गया कि श्री यादव का (आपका) ITI प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र **जाली है (निर्गत नहीं)** पाया गया है।

तत्पश्चात उक्त दोनो सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक–1096 दि0 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना से मामले की पुनर्जांच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जिसके आलोक में उनके पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 के द्वारा गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त पत्र के **क्रम संख्या–40** द्वारा आपके संबंध में यह प्रतिवेदित किया गया है कि **आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/ अंक पत्र "निर्गत नहीं" है तथा निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण पटना के नाम से निर्गत पत्रांक–159 दिनांक–15.02.2016 फर्जी है तथा किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि आपके संबंध में निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण पटना के नाम से पूर्व में निर्गत पत्रांक– 272 दिनांक– 21.03.2016 भी फर्जी है ।**

विदित हो कि इसके पूर्व संचरण जोन, पटना के **नियोजन सूचना संख्या–01/09** के अन्तर्गत संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 के द्वारा आपका तथा अन्य अभ्यर्थियो का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध के रूप में नियोजन किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 की कंडिका–06 में निम्न शर्त विर्निदिष्ट था– "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

सम्प्रति, परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना के **पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018** द्वारा संसूचित प्रतिवेदन के आलोक में प्रकाश में **आयी** उपरोक्त तथ्यो के आधार पर आपका शैक्षणिक प्रमाण–पत्र फर्जी रहने तथा आपके द्वारा किये गये जालसाजी के आरोप के मामले में सम्यकपूर्वक पूर्ण समीक्षोपरान्त संचरण जोन, पटना के **का0आ0सं0–27 दिनांक–21.02.2019** द्वारा **(i) सहायक परिचालक (अनुबंध) पर नियोजन का कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 की कंडिका–06 के आलोक में आपके संविदा नियोजन की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से तथा (ii) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना का का0आ0सं0–395 दिनांक–15.04.2015 की कण्डिका–(VIII) में निहित शर्त के अधीन नियमितिकरण की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से आपका नियोजन रदद कर दिया गया।**

नियोजन रदद किये जाने का आदेश के विरूद्ध दायर CWJC N0-1421/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक–16.05.2019 को पारित आदेश के आलोक **का0आ0सं0–27 दिनांक–21.02.2019** को निरस्त करने का निर्णय लिया **गया है। परन्तु** न्यायादेशानुसार इसका आशय कंपनी की सेवा में आपकी पुनर्बहाली नही होगी। साथ ही न्याय आदेश के अनुपालन में आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को **त्रुटिपूर्ण/फर्जी/जाली** पाये जाने के मामले में **आपको अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत** करने हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया हैं।

अतएव एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक–30.08.2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में अपना लिखित जबाव, मूल आई0टी0आई प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश की मूल/सत्यापित प्रति एवं अपना वैध पहचान–पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय–कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित तिथि एवं समय को आप बिना उपर्युक्त कारण के अनुपस्थित रहते है तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है एवं तदनुसार नियमसांगत कार्रवाई की जायेगी। अपना पक्ष रखने हेतु संचरण जोन, पटना में स–समय उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,

(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

कार्यालय
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

नोटिस

पत्रांक 1058 /पटना, दिनांक 07/08/19

संजीप/स०का०/सहायक परिचालक/41/2015 पार्ट–2

प्रेषक,

अभि० अरूण कुमार चौधरी
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता,

निबंधित डाक सेवा में,

श्री मनमोहन सिंह यादव,
पुत्र– श्री रामायण सिंह,
ग्राम– दुलहपुर, पो०–दुलहपुर,
थाना–सिमरी, जिला–बक्सर, (बिहार)

विषयः– आई० टी० आई० मूल शैक्षणिक प्रमाण–पत्र के सत्यापन के संबंध में नोटिस।

प्रसंग :– 1. संचरण जोन, पटना का नियोजन सूचना सं0–01/09 एवं का०आ०सं०–38 दिनांक–21.02.2019
2. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना का का०आ०सं०–395 दिनांक–15.04.19

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के प्रासंगिक कार्यालय आदेश द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन दि0–01.04.2015 के प्रभाव से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 के अधीन सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर अनुबंध पर कार्य कर रहें कामगारो को सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर नियमितिकरण किया गया। नियमितिकरण का उक्त आदेश की कण्डिका–(VIII) में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट है:– "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.".

उक्त कार्यालय आदेश के अंतिम पारा के तहत नियमित किये गये कामगारो को कण्डिका–(IX) में उल्लेखित अन्य अभलेखो को महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना के कार्यालय में दिनांक–30.04.2015 तक समर्पित करना था।

उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के क्रमांक–77 द्वारा आपका भी सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर नियमितिकरण किया गया। तदनुसार, निदेशानुसार आपके एवं अन्य नियमित कामगारो द्वारा वांछित अभिलेखो सहित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति समर्पित किया गया, जिसका सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 **(क्रमांक–25)** द्वारा आपका आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र के संदर्भ में सूचित किया गया कि प्रमाण–पत्र **"निर्गत नहीं"** है।

चूँकि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार पटना के उक्त पत्रांक–2069 दिनांक– 16.09.2015 में कतिपय कर्मियो के संबंध में लिप्त लेखन परिलक्षित हुआ, तदनुसार उनके पत्र की सम्पुष्टि हेतु परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना से संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1311 दिनांक–22.09.2015 द्वारा अनुरोध किया गया। तदालोक में परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के **पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** द्वारा आपका प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं0–59 दि0–16.09.2016 द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त वृत्तांत के लगभग दो वर्षो के बाद पुनः सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, नियोजन भवन, चतुर्थ तल, B ब्लॉक, बेली रोड, पटना के पत्रांक–697 दि0–24.07.2018 द्वारा सम्पुष्ट किया गया कि श्री **यादव** का (आपका) ITI प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र **जाली है** एवं **निर्गत नहीं** किया गया है।

372

तत्पश्चात उक्त दोनो सम्मुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक–1096 दि0 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना से मामले की पुनर्जाच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जिसके आलोक में उनके पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 के द्वारा गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त पत्र के **क्रम संख्या–51** द्वारा आपके संबंध में यह प्रतिवेदित किया गया है कि आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र **"निर्गत नहीं"** है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि आपके संबंध में निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक–272 दि0–21.03.2016 फर्जी है। तथा किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है।

विदित हो कि इसके पूर्व संचरण जोन, पटना के **नियोजन सूचना संख्या–01/09** के अन्तर्गत संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–78 दिनांक–18.05.2010 के द्वारा आपका तथा अन्य अभ्यर्थियो का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध के रूप में नियोजन किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश संख्या–78 दिनांक–18.05.2010 की कंडिका–06 में निम्न शर्त विर्निदिष्ट था– "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

सम्प्रति, परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना के पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 द्वारा संसूचित प्रतिवेदन के आलोक में प्रकाश में आयी उपरोक्त तथ्यो के आधार पर आपका शैक्षणिक प्रमाण–पत्र फर्जी रहने तथा आपके द्वारा किये गये जालसाजी के आरोप के मामले में सम्यकपूर्वक पूर्ण समीक्षोपरान्त संचरण जोन, पटना के **का0आ0सं0–38 दिनांक–21.02.2019** द्वारा (i) सहायक परिचालक (अनुबंध) पर नियोजन का कार्यालय आदेश संख्या–78 दिनांक–18.05.2010 की कंडिका–06 के आलोक में आपके संविदा नियोजन की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से तथा (ii) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना का का0आ0सं0–395 दिनांक–15.04.2015 की कण्डिका–VIII में निहित शर्त के अधीन नियमितिकरण की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से आपका नियोजन रदद कर दिया गया।

नियोजन रदद किये जाने का आदेश के विरूद्व दायर CWJC N0-1421/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक–16.05.2019 को पारित आदेश के आलोक में **का0आ0सं0–38 दिनांक–21.02.2019** को को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।परन्तु न्यायादेशानुसार इसका आशय कंपनी की सेवा में आपकी पुनर्बहाली नही होगी। साथ ही न्याय आदेश के अनुपालन में आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को त्रुटिपूर्ण/फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में आपको अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया हैं।

अतएव एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक–27.08.2014 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में अपना लिखित जबाव, मूल आई0टी0आई प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश की मूल/सत्यापित प्रति एवं अपना वैध पहचान–पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय–कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित तिथि एवं समय को आप बिना उपर्युक्त कारण के अनुपस्थित रहते है तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है एवं तदनुसार नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी। अपना पक्ष रखने हेतु संचरण जोन, पटना में स–समय उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,

(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता

871

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

नोटिस

पत्रांक– 1057 /पटना, दिनांक 07/08/19 /
संजोप/सामका/सहायक परिचालक/41/2015 पार्ट-2

प्रेषक,

अभि0 अरूण कुमार चौधरी
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता,

निबंधित डाक सेवा में,

श्री मनोज कुमार,
पुत्र– श्री चन्द्रशेखर प्रसाद
ग्राम– पिरगंज, पो0–रिविलपुर
थाना– दिघवारा, जिला–सारण, छपरा (बिहार)।

विषयः– **आई0 टी0 आई0 मूल शैक्षणिक प्रमाण–पत्र के सत्यापन के संबंध में नोटिस।**

प्रसंग :– 1. संचरण जोन, पटना का नियोजन सूचना सं0–01/09 एवं का0आ0सं0–31 दिनांक–21.02.2019
2. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना का का0आ0सं0–395 दिनांक–15.04.19

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के प्रासंगिक कार्यालय आदेश द्वारा उसमें विर्निर्दिष्ट शर्तों के अधीन दि0–01.04.2015 के प्रभाव से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 के अधीन सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर अनुबंध पर कार्य कर रहें कामगारो को सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर नियमितिकरण किया गया। नियमितिकरण का उक्त आदेश की कण्डिका–(VIII) में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट है:– "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.".

उक्त कार्यालय आदेश के अंतिम पारा के तहत नियमित किये गये कामगारो को कण्डिका–(IX) में उल्लेखित अन्य अभिलेखो को महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना के कार्यालय में दिनांक–30.04.2015 तक समर्पित करना था।

उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के क्रमांक–78 द्वारा आपका भी सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर नियमितिकरण किया गया। तदनुसार, निर्देशानुसार आपके एवं अन्य नियमित कामगारो द्वारा वांछित अभिलेखो सहित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति समर्पित किया गया, जिसका सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 **(क्रमांक–22)** द्वारा आपका आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र के संदर्भ में सूचित किया गया कि प्रमाण–पत्र **"निर्गत नहीं"** है।

चूँकि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार पटना के उक्त पत्रांक–2069 दिनांक– 16.09.2015 में कतिपय कर्मियो के संबंध में लिप्त लेखन परिलक्षित हुआ, तदनुसार उनके पत्र की सम्पुष्टि हेतु परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना से संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1311 दिनांक–22.09.2015 द्वारा अनुरोध किया गया। तदालोक में परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के **पत्रांक–172 दिनांक 16.02.2016 एवं** पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016 द्वारा आपका प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं0–59 दि0–16.09.2016 द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त वृतांत के लगभग दो वर्षो के बाद पुनः सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, नियोजन भवन, चतुर्थ तल, B ब्लॉक, बेली रोड, पटना के पत्रांक–697 दि0–24.07.2018 द्वारा सम्पुष्ट किया गया कि श्री कुमार का (आपका) ITI प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र **जाली है** एवं **निर्गत नहीं** किया गया है।

370

तत्पश्चात उक्त दोनो सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक–1096 दि0 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना से मामले की पुनर्जांच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जिसके आलोक में उनके पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 के द्वारा गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त पत्र के **क्रम संख्या–34** द्वारा आपके संबंध में यह प्रतिवेदित किया गया है कि आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र **"निर्गत नहीं"** है तथा निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक–172 दि0–15.02.2016 फर्जी है तथा किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि आपके संबंध में निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से पूर्व में निर्गत पत्रांक–272 दि0–21.03.2016 भी फर्जी है।

विदित हो कि इसके पूर्व संचरण जोन, पटना के **नियोजन सूचना संख्या–01/09** के अन्तर्गत संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 के द्वारा आपका तथा अन्य अभ्यर्थियो का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध के रूप में नियोजन किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 की कंडिका–06 में निम्न शर्त विर्निदिष्ट था– "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

सम्प्रति, परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना के पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 द्वारा संसूचित प्रतिवेदन के आलोक में प्रकाश में आयी उपरोक्त तथ्यो के आधार पर आपका शैक्षणिक प्रमाण–पत्र फर्जी रहने तथा आपके द्वारा किये गये जालसाजी के आरोप के मामले में सम्यकपूर्वक पूर्ण समीक्षोपरान्त संचरण जोन, पटना के **का0आ0सं0–31 दिनांक–21.02.2019** द्वारा (i) सहायक परिचालक (अनुबंध) पर नियोजन का कार्यालय आदेश संख्या–78 दिनांक–18.05.2010 की कंडिका–06 के आलोक में आपके संविदा नियोजन की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से तथा (ii) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना का का0आ0सं0–395 दिनांक–15.04.2015 की कण्डिका–(VIII) में निहित शर्त के अधीन नियमितिकरण की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से आपका नियोजन रदद कर दिया गया।

नियोजन रदद किये जाने का आदेश के विरूद्व दायर CWJC N0-1421/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक–16.05.2019 को पारित आदेश के आलोक में **का0आ0सं0–31 दिनांक–21.02.2019** को को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। परन्तु न्यायादेशानुसार इसका आशय कंपनी की सेवा में आपकी पुनर्बहाली नही होगी। साथ ही न्याय आदेश के अनुपालन में आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को त्रुटिपूर्ण/फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में आपको अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया हैं।

अतएव एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक–29.08.2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में अपना लिखित जबाव, मूल आई0टी0आई प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश की मूल/सत्यापित प्रति एवं अपना वैध पहचान–पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय–कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित तिथि एवं समय को आप बिना उपर्युक्त कारण के अनुपस्थित रहते है तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है एवं तदनुसार नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी। अपना पक्ष रखने हेतु संचरण जोन, पटना में स–समय उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,

(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

नोटिस

पत्रांक 1056 /पटना, दिनांक 07/08/19 /

संचरण/स्था०/सहायक परिचालक/41/2015 पार्ट–2

प्रेषक,

अभि० अरुण कुमार चौधरी
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता,

निबंधित डाक

सेवा में,

श्री मृत्युंजय कुमार मिश्रा,
पुत्र– श्री सुनील मिश्रा
ग्राम– माला, पो०–गुरुकुल मेहियाँ
थाना– मुफ्फसिल, जिला–सारण, छपरा (बिहार)।

विषयः– आई० टी० आई० मूल शैक्षणिक प्रमाण–पत्र के सत्यापन के संबंध में नोटिस।

प्रसंग :– 1. संचरण जोन, पटना का नियोजन सूचना सं०–01/09 एवं का०आ०सं०–30 दिनांक–21.02.2019
2. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०, पटना का का०आ०सं०–395 दिनांक–15.04.19

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के प्रासंगिक कार्यालय आदेश द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन दि०–01.04.2015 के प्रभाव से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० के अधीन सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर अनुबंध पर कार्य कर रहें कामगारो को सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर नियमितिकरण किया गया। नियमितिकरण का उक्त आदेश की कण्डिका–(VIII) में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट हैः– "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.".

उक्त कार्यालय आदेश के अंतिम पारा के तहत नियमित किये गये कामगारो को कण्डिका–(IX) में उल्लेखित अन्य अभलेखो को महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना के कार्यालय में दिनांक–30.04.2015 तक समर्पित करना था।

उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के क्रमांक–87 द्वारा आपका भी सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर नियमितिकरण किया गया। तदनुसार, निर्देशानुसार आपके एवं अन्य नियमित कामगारो द्वारा वांछित अभिलेखो सहित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति समर्पित किया गया, जिसका सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 **(कमांक–64)** द्वारा आपके आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र के संदर्भ में सूचित किया गया कि इनका प्रमाण–पत्र **"निर्गत नहीं"** है।

चूँकि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार पटना के उक्त पत्रांक–2069 दिनांक– 16.09.2015 में कतिपय कर्मियो के संबंध में लिप्त लेखन परिलक्षित हुआ, तदनुसार उनके पत्र की सम्पुष्टि हेतु परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना से संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1311 दिनांक–22.09.2015 द्वारा अनुरोध किया गया। तदालोक में परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के **पत्रांक–162 दिनांक 15.02.2016 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** द्वारा आपका प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं०–59 दि०–16.09.2016 द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त वृतांत के लगभग दो वर्षो के बाद पुनः सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, नियोजन भवन, चतुर्थ तल, B ब्लॉक, बेली रोड, पटना के पत्रांक–697 दि०–24.07.2018 द्वारा

368

सम्पुष्ट किया गया कि श्री **मिश्रा** का (आपका) ITI प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र **जाली है (निर्गत नहीं)** किया गया है।

तत्पश्चात उक्त दोनो सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक–1096 दि0 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना से मामले की पुनर्जांच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जिसके आलोक में उनके पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 के द्वारा गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त पत्र के **क्रम संख्या–35** द्वारा आपके संबंध में यह प्रतिवेदित किया गया है कि आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र **"निर्गत नहीं"** है तथा निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक–162 दि0–15.02.2016 फर्जी है तथा किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि आपके संबंध में निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से पूर्व में निर्गत पत्रांक–272 दि0–21.03.2016 भी फर्जी है।

विदित हो कि इसके पूर्व संचरण जोन, पटना के **नियोजन सूचना संख्या–01/09** के अन्तर्गत संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–78 दिनांक–18.05.2010 के द्वारा आपका तथा अन्य अभ्यर्थियो का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध के रूप में नियोजन किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश संख्या–78 दिनांक–18.05.2010 की कंडिका–06 में निम्न शर्त विर्निदिष्ट था– "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

सम्प्रति, परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना के पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 द्वारा संसूचित प्रतिवेदन के आलोक में प्रकाश में आयी उपरोक्त तथ्यो के आधार पर आपका शैक्षणिक प्रमाण–पत्र फर्जी रहने तथा आपके द्वारा किये गये जालसाजी के आरोप के मामले में सम्यकपूर्वक पूर्ण समीक्षोपरान्त संचरण जोन, पटना के **का0आ0सं0–30 दिनांक–21.02.2019** द्वारा (i) सहायक परिचालक (अनुबंध) पर नियोजन का कार्यालय आदेश संख्या–78 दिनांक–18.05.2010 की कंडिका–06 के आलोक में आपके संविदा नियोजन की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से तथा (ii) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना का का0आ0सं0–395 दिनांक–15.04.2015 की कण्डिका–(VIII) में निहित शर्त के अधीन नियमितिकरण की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से आपका नियोजन रदद कर दिया गया।

नियोजन रदद किये जाने का आदेश के विरूद्व दायर CWJC N0-1421/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक–16.05.2019 को पारित आदेश के आलोक में **का0आ0सं0–30 दिनांक–21.02.2019** को को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। परन्तु न्यायादेशानुसार इसका आशय कंपनी की सेवा में आपकी पुनर्बहाली नही होगी। साथ ही न्याय आदेश के अनुपालन में आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को त्रुटिपूर्ण/फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में आपको अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया हैं।

अतएव एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक–29.08.2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में अपना लिखित जबाव, मूल आई0टी0आई प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश की मूल/सत्यापित प्रति एवं अपना वैध पहचान–पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय–कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित तिथि एवं समय को आप बिना उपर्युक्त कारण के अनुपस्थित रहते है तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है एवं तदनुसार नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी। अपना पक्ष रखने हेतु संचरण जोन, पटना में स–समय उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,

(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

नोटिस

पत्रांक 1055 /पटना, दिनांक 07/06/19 /
संजोप/प0शा0/सहायक परिचालक/41/2015 पार्ट-2

प्रेषक,

अभि0 अरूण कुमार चौधरी
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता,

निबंधित डाक

सेवा में,

श्री चन्द्रशेखर सिंह,
पुत्र– श्री विजय सिंह,
ग्राम– अलेख टोला, सिताबदियरा पो0– जयप्रकाश नगर
जिला–बलिया, (उत्तर प्रदेश)।

विषयः– **आई0 टी0 आई0 मूल शैक्षणिक प्रमाण–पत्र के सत्यापन के संबंध में नोटिस।**

प्रसंग :– 1. संचरण जोन, पटना का नियोजन सूचना सं0–01/09 एवं का0आ0सं0–33 दिनांक–21.02.2019
2. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना का का0आ0सं0–395 दिनांक–15.04.19

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के प्रासंगिक कार्यालय आदेश द्वारा उसमें विर्निर्दिष्ट शर्तों के अधीन दि0–01.04.2015 के प्रभाव से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 के अधीन सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर अनुबंध पर कार्य कर रहे कामगारो को सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर नियमितिकरण किया गया। नियमितिकरण का उक्त आदेश की कण्डिका–(VIII) में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट है:– "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered."

उक्त कार्यालय आदेश के अंतिम पारा के तहत नियमित किये गये कामगारो को कण्डिका–(IX) में उल्लेखित अन्य अभिलेखो को महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना के कार्यालय में दिनांक–30.04.2015 तक समर्पित करना था।

उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के क्रमांक–43 द्वारा आपका भी सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर नियमितिकरण किया गया। तदनुसार, निर्देशानुसार आपके एवं अन्य नियमित कामगारो द्वारा वांछित अभिलेखो सहित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति समर्पित किया गया, जिसका सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 **(क्रमांक–51)** द्वारा आपका आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र के संदर्भ में सूचित किया गया कि प्रमाण–पत्र **"निर्गत नहीं"** है।

चूँकि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार पटना के उक्त पत्रांक–2069 दिनांक– 16.09.2015 में कतिपय कर्मियो के संबंध में लिप्त लेखन परिलक्षित हुआ, तदनुसार उनके पत्र की सम्पुष्टि हेतु परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना से संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1311 दिनांक–22.09.2015 द्वारा अनुरोध किया गया। तदालोक में परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के **पत्रांक–166 दिनांक 15.02.2016 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** द्वारा आपका प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं0–59 दि0–16.09.2016 द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त वृत्तांत के लगभग दो वर्षों के बाद पुनः सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, नियोजन भवन, चतुर्थ तल, B ब्लॉक, बेली रोड, पटना के पत्रांक–697 दि0–24.07.2018 द्वारा सम्पुष्ट किया गया कि श्री कुमार का (आपका) ITI प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र **जाली है एवं निर्गत नहीं** किया गया है।

366

तत्पश्चात उक्त दोनो सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक–1096 दि0 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना से मामले की पुनर्जाच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जिसके आलोक में उनके पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 के द्वारा गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त पत्र के **क्रम संख्या–32** द्वारा आपके संबंध में यह प्रतिवेदित किया गया है कि आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र **"निर्गत नहीं"** है तथा निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक–166 दि0–15.02.2016 फर्जी है तथा किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि आपके संबंध में निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से पूर्व में निर्गत पत्रांक–272 दि0–21.03.2016 भी फर्जी है।

विदित हो कि इसके पूर्व संचरण जोन, पटना के **नियोजन सूचना संख्या–01/09** के अन्तर्गत संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 के द्वारा आपका तथा अन्य अभ्यर्थियो का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध के रूप में नियोजन किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 की कंडिका–06 में निम्न शर्त निर्निदिष्ट था– "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

सम्प्रति, परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना के पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 द्वारा संसूचित प्रतिवेदन के आलोक में प्रकाश में आयी उपरोक्त तथ्यो के आधार पर आपका शैक्षणिक प्रमाण–पत्र फर्जी रहने तथा आपके द्वारा किये गये जालसाजी के आरोप के मामले में सम्यकपूर्वक पूर्ण सुनीक्षोपरान्त संचरण जोन, पटना के **का0आ0सं0–33 दिनांक–21.02.2019** द्वारा (i) सहायक परिचालक (अनुबंध) पर नियोजन का कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 की कंडिका–06 के आलोक में आपके संविदा नियोजन की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से तथा (ii) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना का का0आ0सं0–395 दिनांक–15.04.2015 की कण्डिका–(VIII) में निहित शर्त के अधीन नियमितिकरण की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से आपका नियोजन रदद कर दिया गया।

नियोजन रदद किये जाने का आदेश के विरुद्ध दायर CWJC N0-1421/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक–16.05.2019 को पारित आदेश के आलोक में **का0आ0सं0–33 दिनांक–21.02.2019** को को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। परन्तु न्यायादेशानुसार इसका आशय कंपनी की सेवा में आपकी पुनर्बहाली नही होगी। साथ ही न्याय आदेश के अनुपालन में आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को त्रुटिपूर्ण/फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में आपको अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया हैं।

अतएव एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक–28.08.2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में अपना लिखित जबाव, मूल आई0टी0आई प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश की मूल/सत्यापित प्रति एवं अपना वैध पहचान–पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय–कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित तिथि एवं समय को आप बिना उपर्युक्त कारण के अनुपस्थित रहते है तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है एवं तदनुसार नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी। अपना पक्ष रखने हेतु संचरण जोन, पटना में स–समय उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,

(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

305

नोटिस

पत्रांक— 1054 /पटना, दिनांक— 07/08/19 /

संजोप/सा0शा0/सहायक परिचालक/41/2015 पार्ट–2

प्रेषक,

अभि0 अरूण कुमार चौधरी
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता,

निबंधित डाक

सेवा में,

श्री अभय कुमार,
पुत्र– श्री राधा साह
ग्राम– धरमपुरा, पो0–रसलपुरा
थाना–डोरीगंज, जिला–छपरा।

विषयः– आई0 टी0 आई0 मूल शैक्षणिक प्रमाण–पत्र के सत्यापन के संबंध में नोटिस।

प्रसंग :– 1. संचरण जोन, पटना का नियोजन सूचना सं0–01/09 एवं का0आ0सं0–42 दिनांक–21.02.2019
2. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना का का0आ0सं0–395 दिनांक–15.04.19

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के प्रासंगिक कार्यालय आदेश द्वारा उसमें विर्निर्दिष्ट शर्तो के अधीन दि0–01.04.2015 के प्रभाव से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 के अधीन सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर अनुबंध पर कार्य कर रहें कामगारो को सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर नियमितिकरण किया गया। नियमितिकरण का उक्त आदेश की कण्डिका–(VIII) में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट है:–"If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.".

उक्त कार्यालय आदेश के अंतिम धारा के तहत नियमित किये गये कामगारो को कण्डिका–(IX) में उल्लेखित अन्य अभलेखो को महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना के कार्यालय में दिनांक–30.04.2015 तक समर्पित करना था।

उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के क्रमांक–04 द्वारा आपका भी सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर नियमितिकरण किया गया। तदनुसार, निर्देशानुसार आपके एवं अन्य नियमित कामगारो द्वारा वांछित अभिलेखो सहित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति समर्पित किया गया, जिसका सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 (**क्रमांक–36**) द्वारा आपका आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र के संदर्भ में सूचित किया गया कि प्रमाण–पत्र **"निर्गत नहीं"** है।

चूंकि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार पटना के उक्त पत्रांक–2069 दिनांक– 16.09.2015 में कतिपय कर्मियो के संबंध में लिप्त लेखन परिलक्षित हुआ, तदनुसार उनके पत्र की सम्पुष्टि हेतु परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना से संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1311 दिनांक–22.09.2015 द्वारा अनुरोध किया गया। तदालोक में परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के पत्रांक–164 दिनांक–15.02.2016 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016 द्वारा आपका प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं0–59 दि0–16.09.2016 द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त वृत्तांत के लगभग दो वर्षो के बाद पुनः सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, नियोजन भवन, चतुर्थ तल, B ब्लॉक, बेली रोड, पटना के पत्रांक–697 दि0–24.07.2018 द्वारा सम्पुष्ट किया गया कि श्री कुमार का (आपका) ITI प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र **जाली है** एवं **निर्गत नहीं** किया गया है।

364

तत्पश्चात उक्त दोनो सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक–1096 दि0 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना से मामले की पुनर्जांच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जिसके आलोक में उनके पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 के द्वारा गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त पत्र के **क्रम संख्या–41** द्वारा आपके संबंध में यह प्रतिवेदित किया गया है कि आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र **"निर्गत नहीं"** है तथा निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक–164 दि0–15.02.2016 फर्जी है तथा किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि आपके संबंध में निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से पूर्व में निर्गत पत्रांक–272 दि0–21.03.2016 भी फर्जी है।

विदित हो कि इसके पूर्व संचरण जोन, पटना के **नियोजन सूचना संख्या–01/09** के अन्तर्गत संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 के द्वारा आपका तथा अन्य अभ्यर्थियो का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध के रूप में नियोजन किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 की कंडिका–06 में निम्न शर्त विर्निदिष्ट था– "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

सम्प्रति, परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना के पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 द्वारा संसूचित प्रतिवेदन के आलोक में प्रकाश में आयी उपरोक्त तथ्यो के आधार पर आपका शैक्षणिक प्रमाण–पत्र फर्जी रहने तथा आपके द्वारा किये गये जालसाजी के आरोप के मामले में सम्यकपूर्वक पूर्ण समीक्षोपरान्त संचरण जोन, पटना के **का0आ0सं0–42 दिनांक–21.02.2019** द्वारा (i) सहायक परिचालक (अनुबंध) पर नियोजन का कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 की कंडिका–06 के आलोक में आपके संविदा नियोजन की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से तथा (ii) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना का का0आ0सं0–395 दिनांक–15.04.2015 की कण्डिका–VIII में निहित शर्त के अधीन नियमितिकरण की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से आपका नियोजन रदद कर दिया गया।

नियोजन रदद किये जाने का आदेश के विरूद्व दायर CWJC N0-1421/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक–16.05.2019 को पारित आदेश के आलोक में **का0आ0सं0–42 दिनांक–21.02.2019** को को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। परन्तु न्यायादेशानुसार इसका आशय कंपनी की सेवा में आपकी पुनर्बहाली नही होगी। साथ ही न्याय आदेश के अनुपालन में आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को त्रुटिपूर्ण/फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में आपको अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया हैं।

अतएव एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक–26.08.2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में अपना लिखित जबाव, मूल आई0टी0आई प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश की मूल/सत्यापित प्रति एवं अपना वैध पहचान–पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय–कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित तिथि एवं समय को आप बिना उपर्युक्त कारण के अनुपस्थित रहते है तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है एवं तदनुसार नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी। अपना पक्ष रखने हेतु संचरण जोन, पटना में स–समय उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

नोटिस

पत्रांक 1053 /पटना, दिनांक 07/08/19 /
संजीप/सा0शा0/सहायक परिचालक/41/2016 पार्ट–2

प्रेषक,
अभि0 अरूण कुमार चौधरी
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता,

सेवा में,
निबंधित डाक
श्री संतोष कुमार सिंह,
पुत्र– श्री राजेन्द्र सिंह
ग्राम– जिगना, पो0–गड़खा
थाना–गड़खा, जिला–छपरा, सारण (बिहार)

विषयः– **आई0 टी0 आई0 मूल शैक्षणिक प्रमाण–पत्र के सत्यापन के संबंध में नोटिस।**

प्रसंग :– 1. संचरण जोन, पटना का नियोजन सूचना सं0–01/09 एवं का0आ0सं0–41 दिनांक–21.02.2019
2. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना का का0आ0सं0–395 दिनांक–15.04.19

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के प्रासंगिक कार्यालय आदेश द्वारा उसमें विर्निर्दिष्ट शर्तो के अधीन दि0–01.04.2015 के प्रभाव से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 के अधीन सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर अनुबंध पर कार्य कर रहें कामगारो को सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर नियमितिकरण किया गया। नियमितिकरण का उक्त आदेश की कण्डिका–(VIII) में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट है:– "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.".

उक्त कार्यालय आदेश के अंतिम पारा के तहत नियमित किये गये कामगारो को कण्डिका–(IX) में उल्लेखित अन्य अभलेखो को महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना के कार्यालय में दिनांक–30.04.2015 तक समर्पित करना था।

उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के क्रमांक–139 द्वारा आपका भी सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर नियमितिकरण किया गया। तदनुसार, निर्देशानुसार आपके एवं अन्य नियमित कामगारो द्वारा वांछित अभिलेखो सहित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति समर्पित किया गया, जिसका सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 (**क्रमांक–53**) द्वारा आपका आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र के संदर्भ में सूचित किया गया कि प्रमाण–पत्र **"निर्गत नहीं"** है।

चूँकि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार पटना के उक्त पत्रांक–2069 दिनांक– 16.09.2015 में कतिपय कर्मियो के संबंध में लिप्त लेखन परिलक्षित हुआ, तदनुसार उनके पत्र की सम्पुष्टि हेतु परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना से संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1311 दिनांक–22.09.2015 द्वारा अनुरोध किया गया। तदालोक में परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के पत्रांक–169 दिनांक–15.02.2016 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016 द्वारा आपका प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं0–59 दि0–16.09.2016 द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त वृत्तांत के लगभग दो वर्षो के बाद पुनः सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, नियोजन भवन, चतुर्थ तल, B ब्लॉक, बेली रोड़, पटना के पत्रांक–697 दि0–24.07.2018 द्वारा

362

सम्पुष्ट किया गया कि श्री सिंह का (आपका) ITI प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं निर्गत नहीं किया गया है।

तत्पश्चात उक्त दोनो सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक–1096 दि0 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना से मामले की पुनर्जांच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जिसके आलोक में उनके पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 के द्वारा गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त पत्र के **क्रम संख्या–36** द्वारा आपके संबंध में यह प्रतिवेदित किया गया है कि आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र **"निर्गत नहीं"** है तथा निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक–169 दि0–15.02.2016 फर्जी है तथा किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि आपके संबंध में निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से पूर्व में निर्गत पत्रांक–272 दि0–21.03.2016 भी फर्जी है।

विदित हो कि इसके पूर्व संचरण जोन, पटना के **नियोजन सूचना संख्या–01/09** के अन्तर्गत संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 के द्वारा आपका तथा अन्य अभ्यर्थियो का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध के रूप में नियोजन किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 की कंडिका–06 में निम्न शर्त विर्निदिष्ट था– "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

सम्प्रति, परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना के पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 द्वारा संसूचित प्रतिवेदन के आलोक में प्रकाश में आयी उपरोक्त तथ्यो के आधार पर आपका शैक्षणिक प्रमाण–पत्र फर्जी रहने तथा आपके द्वारा किये गये जालसाजी के आरोप के मामले में सम्यकपूर्वक पूर्ण समीक्षोपरान्त संचरण जोन, पटना के **का0आ0सं0–41 दिनांक–21.02.2019** द्वारा (i) सहायक परिचालक (अनुबंध) पर नियोजन का कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 की कंडिका–06 के आलोक में आपके संविदा नियोजन की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से तथा (ii) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना का का0आ0सं0–395 दिनांक–15.04.2015 की कण्डिका–VIII में निहित शर्त के अधीन नियमितिकरण की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से आपका नियोजन रदद कर दिया गया।

नियोजन रदद किये जाने का आदेश के विरूद्ध दायर CWJC N0-1421/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक–16.05.2019 को पारित आदेश के आलोक में **का0आ0सं0–41 दिनांक–21.02.2019** को को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। परन्तु न्यायादेशानुसार इसका आशय कंपनी की सेवा में आपकी पुनर्बहाली नही होगी। साथ ही न्याय आदेश के अनुपालन में आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को त्रुटिपूर्ण/फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में आपको अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया हैं।

अतएव एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक–26.06.2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में अपना लिखित जबाव, मूल आई0टी0आई प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश की मूल/सत्यापित प्रति एवं अपना वैध पहचान–पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय–कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित तिथि एवं समय को आप बिना उपर्युक्त कारण के अनुपस्थित रहते है तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है एवं तदनुसार नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी। अपना पक्ष रखने हेतु संचरण जोन, पटना में स–समय उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,

(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता

30

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

नोटिस

पत्रांक 1052 /पटना, दिनांक 27/08/19 /

संजीप/सचमा/सहायक परिचालक/41/2015 पार्ट–2

प्रेषक,

अभि0 अरूण कुमार चौधरी
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता,

निबंधित डाक सेवा में,

श्री गोरख राय,
पुत्र– श्री धर्मनाथ सिंह
ग्राम– मंचितवा गोपालपुर पो0–मसतीचक
थाना–दरियापुर, जिला–छपरा, सारण (बिहार)

विषयः– आई0 टी0 आई0 मूल शैक्षणिक प्रमाण–पत्र के सत्यापन के संबंध में नोटिस।

प्रसंग :– 1. संचरण जोन, पटना का नियोजन सूचना सं0–01/09 एवं का0आ0सं0–43 दिनांक–21.02.2019
2. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना का का0आ0सं0–395 दिनांक–15.04.19

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के प्रासंगिक कार्यालय आदेश द्वारा उसमें विर्निर्दिष्ट शर्तों के अधीन दि0–01.04.2015 के प्रभाव से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 के अधीन सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर अनुबंध पर कार्य कर रहें कामगारो को सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर नियमितिकरण किया गया। नियमितिकरण का उक्त आदेश की कण्डिका–(VIII) में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट है:– "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.".

उक्त कार्यालय आदेश के अंतिम पारा के तहत नियमित किये गये कामगारो को कण्डिका–(IX) में उल्लेखित अन्य अभलेखो को महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना के कार्यालय में दिनांक–30.04.2015 तक समर्पित करना था।

उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के क्रमांक–61 द्वारा आपका भी सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर नियमितिकरण किया गया। तदनुसार, निर्देशानुसार आपके एवं अन्य नियमित कामगारो द्वारा वांछित अभिलेखो सहित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति समर्पित किया गया, जिसका सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 (**क्रमांक–66**) द्वारा आपका आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र के संदर्भ में सूचित किया गया कि प्रमाण–पत्र **"निर्गत नहीं"** है।

चूँकि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार पटना के उक्त पत्रांक–2069 दिनांक– 16.09.2015 में कतिपय कर्मियो के संबंध में लिप्त लेखन परिलक्षित हुआ, तदनुसार उनके पत्र की सम्पुष्टि हेतु परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना से संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1311 दिनांक–22.09.2015 द्वारा अनुरोध किया गया। तदालोक में परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के पत्रांक–158 दिनांक–15.02.2016 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016 द्वारा आपका प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं0–59 दि0–16.09.2016 द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त वृत्तांत के लगभग दो वर्षो के बाद पुनः सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, नियोजन भवन, चतुर्थ तल, B ब्लॉक, बेली रोड, पटना के पत्रांक–697 दि0–24.07.2018 द्वारा सम्पुष्ट किया गया कि श्री **राय** का (आपका) ITI प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र **जाली है** एवं **निर्गत नहीं** किया गया है।

360

तत्पश्चात उक्त दोनो सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक–1096 दि0 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना से मामले की पुनर्जांच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जिसके आलोक में उनके पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 के द्वारा गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त पत्र के **क्रम संख्या–43** द्वारा आपके संबंध में यह प्रतिवेदित किया गया है कि आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र **"निर्गत नहीं"** है तथा निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक–158 दि0–15.02.2016 फर्जी है तथा किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि आपके संबंध में निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से पूर्व में निर्गत पत्रांक–272 दि0–21.03.2016 भी फर्जी है।

विदित हो कि इसके पूर्व संचरण जोन, पटना के **नियोजन सूचना संख्या–01/09** के अन्तर्गत संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 के द्वारा आपका तथा अन्य अभ्यर्थियो का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध के रूप में नियोजन किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 की कंडिका–06 में निम्न शर्त विर्निदिष्ट था– "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

सम्प्रति, परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना के पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 द्वारा संसूचित प्रतिवेदन के आलोक में प्रकाश में आयी उपरोक्त तथ्यो के आधार पर आपका शैक्षणिक प्रमाण–पत्र फर्जी रहने तथा आपके द्वारा किये गये जालसाजी के आरोप के मामले में सम्यकपूर्वक पूर्ण समीक्षोपरान्त संचरण जोन, पटना के **का0आ0सं0–43 दिनांक–21.02.2019** द्वारा (i) सहायक परिचालक (अनुबंध) पर नियोजन का कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 की कंडिका–06 के आलोक में आपके संविदा नियोजन की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से तथा (ii) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना का का0आ0सं0–395 दिनांक–15.04.2015 की कण्डिका–VIII में निहित शर्त के अधीन नियमितिकरण की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से आपका नियोजन रदद कर दिया गया।

नियोजन रदद किये जाने का आदेश के विरूद्ध दायर CWJC N0-1421/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक–16.05.2019 को पारित आदेश के आलोक में **का0आ0सं0–43 दिनांक–21.02.2019** को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। परन्तु न्यायादेशानुसार इसका आशय कंपनी की सेवा में आपकी पुनर्बहाली नही होगी। साथ ही न्याय आदेश के अनुपालन में आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को त्रुटिपूर्ण/फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में आपको अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया हैं।

अतएव एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक–26.08.2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में अपना लिखित जबाव, मूल आई0टी0आई प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश की मूल/सत्यापित प्रति एवं अपना वैध पहचान–पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय–कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित तिथि एवं समय को आप बिना उपर्युक्त कारण के अनुपस्थित रहते है तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है एवं तदनुसार नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी। अपना पक्ष रखने हेतु संचरण जोन, पटना में स–समय उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,

(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता

(359)

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

नोटिस

पत्रांक— 1051 /पटना, दिनांक— 07/08/19
संजोप/सा0प्रा0/सहायक परिचालक/41/2015 पार्ट–2

प्रेषक,

अभि0 अरूण कुमार चौधरी
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता,

निबंधित डाक

सेवा में,

श्री अरूण कुमार राय,
पुत्र– श्री छठू राय
ग्राम– महमदा मंगल टोला, पो0– महमदा
थाना– गरखा, जिला–सारण, छपरा (बिहार)।

विषयः— **आई0 टी0 आई0 मूल शैक्षणिक प्रमाण–पत्र के सत्यापन के संबंध में नोटिस।**

प्रसंग :— 1. संचरण जोन, पटना का नियोजन सूचना सं0–01/09 एवं का0आ0सं0–32 दिनांक–21.02.2019
2. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना का का0आ0सं0–395 दिनांक–15.04.19

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के प्रासंगिक कार्यालय आदेश द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन दि0–01.04.2015 के प्रभाव से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 के अधीन सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर अनुबंध पर कार्य कर रहें कामगारो को सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर नियमितिकरण किया गया। नियमितिकरण का उक्त आदेश की कण्डिका–(VIII) में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट है:— "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.".

उक्त कार्यालय आदेश के अंतिम पारा के तहत नियमित किये गये कामगारो को कण्डिका–(IX) में उल्लेखित अन्य अभलेखो को महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना के कार्यालय में दिनांक–30.04.2015 तक समर्पित करना था।

उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के क्रमांक–26 द्वारा आपका भी सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर नियमितिकरण किया गया। तदनुसार, निर्देशानुसार आपके एवं अन्य नियमित कामगारो द्वारा वांछित अभिलेखो सहित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति समर्पित किया गया, जिसका सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 **(कमांक–56)** द्वारा आपका आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र के संदर्भ में सूचित किया गया कि प्रमाण–पत्र **"निर्गत नहीं"** है।

चूँकि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार पटना के उक्त पत्रांक–2069 दिनांक– 16.09.2015 में कतिपय कर्मियो के संबंध में लिप्त लेखन परिलक्षित हुआ, तदनुसार उनके पत्र की सम्पुष्टि हेतु परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना से संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1311 दिनांक–22.09.2015 द्वारा अनुरोध किया गया। तदालोक में परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के **पत्रांक–168 दिनांक 15.02.2016 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** द्वारा आपका प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं0–59 दि0–16.09.2016 द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त वृतांत के लगभग दो वर्षो के बाद पुनः सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, नियोजन भवन, चतुर्थ तल, B ब्लॉक, बेली रोड, पटना के पत्रांक–697 दि0–24.07.2018 द्वारा

358

सम्पुष्ट किया गया कि श्री कुमार का (आपका) ITI प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र **जाली है** एवं **निर्गत नहीं** किया गया है।

तत्पश्चात उक्त दोनों सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक–1096 दि0 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना से मामले की पुनर्जांच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जिसके आलोक में उनके पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 के द्वारा गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त पत्र के **क्रम संख्या–29** द्वारा आपके संबंध में यह प्रतिवेदित किया गया है कि आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र **"निर्गत नहीं"** है तथा निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक–168 दि0–15.02.2016 फर्जी है तथा किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि आपके संबंध में निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से पूर्व में निर्गत पत्रांक–272 दि0–21.03.2016 भी फर्जी है।

विदित हो कि इसके पूर्व संचरण जोन, पटना के **नियोजन सूचना संख्या–01/09** के अन्तर्गत संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–78 दिनांक–18.05.2010 के द्वारा आपका तथा अन्य अभ्यर्थियो का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध के रूप में नियोजन किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश संख्या–78 दिनांक–18.05.2010 की कंडिका–06 में निम्न शर्त विर्निदिष्ट था– "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

सम्प्रति, परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना के पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 द्वारा संसूचित प्रतिवेदन के आलोक में प्रकाश में आयी उपरोक्त तथ्यो के आधार पर आपका शैक्षणिक प्रमाण–पत्र फर्जी रहने तथा आपके द्वारा किये गये जालसाजी के आरोप के मामले में सम्यकपूर्वक पूर्ण सुनीक्षोपरान्त संचरण जोन, पटना के **का0आ0सं0–32 दिनांक–21.02.2019** द्वारा (i) सहायक परिचालक (अनुबंध) पर नियोजन का कार्यालय आदेश संख्या–78 दिनांक–18.05.2010 की कंडिका–06 के आलोक में आपके संविदा नियोजन की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से तथा (ii) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना का का0आ0सं0–395 दिनांक–15.04.2015 की कण्डिका–(VIII) में निहित शर्त के अधीन नियमितिकरण की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से आपका नियोजन रदद कर दिया गया।

नियोजन रदद किये जाने का आदेश के विरूद्ध दायर CWJC N0-1421/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक–16.05.2019 को पारित आदेश के आलोक में **का0आ0सं0–32 दिनांक–21.02.2019** को को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। परन्तु न्यायादेशानुसार इसका आशय कंपनी की सेवा में आपकी पुनर्बहाली नही होगी। साथ ही न्याय आदेश के अनुपालन में आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को त्रुटिपूर्ण/फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में आपको अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया हैं।

अतएव एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक–28.08.2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में अपना लिखित जबाव, मूल आई0टी0आई प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश की मूल/सत्यापित प्रति एवं अपना वैध पहचान–पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय–कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित तिथि एवं समय को आप बिना उपर्युक्त कारण के अनुपस्थित रहते है तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है एवं तदनुसार नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी। अपना पक्ष रखने हेतु संचरण जोन, पटना में स–समय उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,

(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

नोटिस

पत्रांक– 1050 /पटना, दिनांक– 07/08/19 /
संजोप/स्था0/सहायक परिचालक/41/2015 पार्ट–2

प्रेषक,

अभि0 अरूण कुमार चौधरी
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता,

निबंधित डाक

सेवा में,

श्री राजकमल,
पुत्र– जगदेव हजरा,
ग्राम– बान्देय, पो0–घरगपुर बान्देय, भाया–पटोरी
जिला– समस्तीपुर (बिहार)

विषय:– **आई0 टी0 आई0 मूल शैक्षणिक प्रमाण–पत्र के सत्यापन के संबंध में नोटिस।**

प्रसंग :– 1. संचरण जोन, पटना का नियोजन सूचना सं0–01/09 एवं का0आ0सं0–36 दिनांक–21.02.2019
2. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना का का0आ0सं0–395 दिनांक–15.04.19

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के प्रासंगिक कार्यालय आदेश द्वारा उसमें विर्निर्दिष्ट शर्तो के अधीन दि0–01.04.2015 के प्रभाव से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 के अधीन सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर अनुबंध पर कार्य कर रहें कामगारो को सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर नियमितिकरण किया गया। नियमितिकरण का उक्त आदेश की कण्डिका–(VIII) में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट है:– "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.".

उक्त कार्यालय आदेश के अंतिम पारा के तहत नियमित किये गये कामगारो को कण्डिका–(IX) में उल्लेखित अन्य अभिलेखो को महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना के कार्यालय में दिनांक–30.04.2015 तक समर्पित करना था।

उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के क्रमांक–123 द्वारा आपका भी सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर नियमितिकरण किया गया। तदनुसार, निर्देशानुसार आपके एवं अन्य नियमित कामगारो द्वारा वांछित अभिलेखो सहित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति समर्पित किया गया, जिसका सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 **(क्रमांक–50)** द्वारा आपका आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र के संदर्भ में सूचित किया गया कि प्रमाण–पत्र/अंक पत्र में मार्क्स बढ़ाकर दिया गया है, अर्थात मार्क्स में भिन्नता है।

चूँकि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार पटना के उक्त पत्रांक–2069 दिनांक– 16.09.2015 में कतिपय कर्मियो के संबंध में लिप्त लेखन परिलक्षित हुआ, तदनुसार उनके पत्र की सम्पुष्टि हेतु परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना से संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1311 दिनांक–22.09.2015 द्वारा अनुरोध किया गया। तदालोक में परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के **पत्रांक–205 दिनांक 27.02.2016 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** द्वारा आपका प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं0–59 दि0–16.09.2016 द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त वृत्तांत के लगभग दो वर्षो के बाद पुनः सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, नियोजन भवन, चतुर्थ तल, B ब्लॉक, बेली रोड़, पटना के पत्रांक–697 दि0–24.07.2018 द्वारा

356

सम्पुष्ट किया गया कि श्री **राजकमल** का (आपका) ITI प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र **"मार्क्स बढ़ा कर दिया गया है अर्थात मार्क्स में भिन्नता है"** ।

तत्पश्चात उक्त दोनो सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक–1096 दि0 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्यौगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना से मामले की पुनर्जांच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जिसके आलोक में उनके पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 के द्वारा गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त पत्र के **क्रम संख्या–17** द्वारा आपके संबंध में यह प्रतिवेदित किया गया है कि आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र **"मार्क्स बढ़ा कर दिया गया है अर्थात मार्क्स में भिन्नता है"** तथा निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक–205 दि0–27.02.2016 फर्जी है एवं किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि आपके संबंध में निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से पूर्व में निर्गत पत्रांक–272 दि0–21.03.2016 भी फर्जी है।

विदित हो कि इसके पूर्व संचरण जोन, पटना के **नियोजन सूचना संख्या–01/09** के अन्तर्गत संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–78 दिनांक–18.05.2010 के द्वारा आपका तथा अन्य अभ्यर्थियो का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध के रूप में नियोजन किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश संख्या–78 दिनांक–18.05.2010 की कंडिका–06 में निम्न शर्त विर्निदिष्ट था– "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

सम्प्रति, परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना के पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 द्वारा संसूचित प्रतिवेदन के आलोक में प्रकाश में आयी उपरोक्त तथ्यो के आधार पर आपका शैक्षणिक प्रमाण–पत्र फर्जी रहने तथा आपके द्वारा किये गये जालसाजी के आरोप के मामले में सम्यकपूर्वक पूर्ण समीक्षोपरान्त संचरण जोन, पटना के **का0आ0सं0–36 दिनांक–21.02.2019** द्वारा (i) सहायक परिचालक (अनुबंध) पर नियोजन का कार्यालय आदेश संख्या–78 दिनांक–18.05.2010 की कंडिका–06 के आलोक में आपके संविदा नियोजन की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से तथा (ii) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना का का0आ0सं0–395 दिनांक–15.04.2015 की कण्डिका–(VIII) में निहित शर्त के अधीन नियमितिकरण की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से आपका नियोजन रदद कर दिया गया।

नियोजन रदद किये जाने का आदेश के विरूद्व दायर CWJC N0-1421/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक–16.05.2019 को पारित आदेश के आलोक में **का0आ0सं0–36 दिनांक–21.02.2019** को को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। परन्तु न्यायादेशानुसार इसका आशय कंपनी की सेवा में आपकी पुनर्बहाली नही होगी। साथ ही न्याय आदेश के अनुपालन में आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को त्रुटिपूर्ण/फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में आपको अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया हैं।

अतएव एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक–28.08.2019 को 1100 बजे पूर्वाह्न में अपना लिखित जबाव, मूल आई0टी0आई प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश की मूल/सत्यापित प्रति एवं अपना वैध पहचान–पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय–कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित तिथि एवं समय को आप बिना उपर्युक्त कारण के अनुपस्थित रहते है तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है एवं तदनुसार नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी। अपना पक्ष रखने हेतु संचरण जोन, पटना में स–समय उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

(अरूण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता

355

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

नोटिस

पत्रांक— 1049 /पटना, दिनांक— 09/08/19 /
संजोप/ स्था० / सहायक परिचालक / 41 / 2015 पार्ट–2

प्रेषक,

अभि० अरूण कुमार चौधरी
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता,

निबंधित डाक सेवा में,

श्री अनिल कुमार,
पुत्र– श्री राधा साह
ग्राम– धरमपुरा, पो०–रसलपुरा
थाना–डोरीगंज, जिला–छपरा, सारण (बिहार)

विषयः– **आई० टी० आई० मूल शैक्षणिक प्रमाण–पत्र के सत्यापन के संबंध में नोटिस।**

प्रसंग :– 1. संचरण जोन, पटना का नियोजन सूचना सं०–01 / 09 एवं का०आ०सं०–39 दिनांक–21.02.2019
2. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०, पटना का का०आ०सं०–395 दिनांक–15.04.19

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के प्रासंगिक कार्यालय आदेश द्वारा उसमें विर्निर्दिष्ट शर्तो के अधीन दि०–01.04.2015 के प्रभाव से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० के अधीन सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर अनुबंध पर कार्य कर रहें कामगारो को सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर नियमितिकरण किया गया। नियमितिकरण का उक्त आदेश की कण्डिका–(VIII) में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट है:– "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.".

उक्त कार्यालय आदेश के अंतिम पारा के तहत नियमित किये गये कामगारो को कण्डिका–(IX) में उल्लेखित अन्य अभिलेखो को महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना के कार्यालय में दिनांक–30.04.2015 तक समर्पित करना था।

उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के क्रमांक–19 द्वारा आपका भी सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर नियमितिकरण किया गया। तदनुसार, निर्देशानुसार आपके एवं अन्य नियमित कामगारो द्वारा वांछित अभिलेखो सहित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति समर्पित किया गया, जिसका सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 (**क्रमांक–05**) द्वारा आपका आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र के संदर्भ में सूचित किया गया कि प्रमाण–पत्र **"निर्गत नहीं"** है।

चूंकि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार पटना के उक्त पत्रांक–2069 दिनांक– 16.09.2015 में कतिपय कर्मियो के संबंध में लिप्त लेखन परिलक्षित हुआ, तदनुसार उनके पत्र की सम्पुष्टि हेतु परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना से संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1311 दिनांक–22.09.2015 द्वारा अनुरोध किया गया। तदालोक में परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के पत्रांक–160 दिनांक–15.02.2016 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016 द्वारा आपका प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं०–59 दि०–16.09.2016 द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त वृत्तांत के लगभग दो वर्षो के बाद पुनः सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, नियोजन भवन, चतुर्थ तल, B ब्लॉक, बेली रोड, पटना के पत्रांक–697 दि०–24.07.2018 द्वारा सम्पुष्ट किया गया कि श्री कुमार का (आपका) ITI प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र **जाली है** एवं **निर्गत नहीं** किया गया है।

354

तत्पश्चात उक्त दोनो सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक–1096 दि0 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना से मामले की पुनर्जांच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जिसके आलोक में उनके पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 के द्वारा गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त पत्र के **क्रम संख्या–45** द्वारा आपके संबंध में यह प्रतिवेदित किया गया है कि आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र **"निर्गत नहीं"** है तथा निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक–160 दि0–15.02.2016 फर्जी है तथा किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि आपके संबंध में निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से पूर्व में निर्गत पत्रांक–272 दि0–21.03.2016 भी फर्जी है।

विदित हो कि इसके पूर्व संचरण जोन, पटना के **नियोजन सूचना संख्या–01/09** के अन्तर्गत संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 के द्वारा आपका तथा अन्य अभ्यर्थियो का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध के रूप में नियोजन किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 की कंडिका–06 में निम्न शर्त विर्निदिष्ट था– "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

सम्प्रति, परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना के पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 द्वारा संसूचित प्रतिवेदन के आलोक में प्रकाश में आयी उपरोक्त तथ्यो के आधार पर आपका शैक्षणिक प्रमाण–पत्र फर्जी रहने तथा आपके द्वारा किये गये जालसाजी के आरोप के मामले में सम्यकपूर्वक पूर्ण समीक्षोपरान्त संचरण जोन, पटना के **का0आ0सं0–39 दिनांक–21.02.2019** द्वारा (i) सहायक परिचालक (अनुबंध) पर नियोजन का कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 की कंडिका–06 के आलोक में आपके संविदा नियोजन की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से तथा (ii) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना का का0आ0सं0–395 दिनांक–15.04.2015 की कण्डिका–VIII में निहित शर्त के अधीन नियमितिकरण की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से आपका नियोजन रदद कर दिया गया।

नियोजन रदद किये जाने का आदेश के विरूद्व दायर CWJC N0-1421/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक–16.05.2019 को पारित आदेश के आलोक में **का0आ0सं0–39 दिनांक–21.02.2019** को को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। परन्तु न्यायादेशानुसार इसका आशय कंपनी की सेवा में आपकी पुनर्बहाली नही होगी। साथ ही न्याय आदेश के अनुपालन में आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को त्रुटिपूर्ण/फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में आपको अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया हैं।

अतएव एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक–27.08.2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में अपना लिखित जबाव, मूल आई0टी0आई प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश की मूल/सत्यापित प्रति एवं अपना वैध पहचान–पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय–कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित तिथि एवं समय को आप बिना उपर्युक्त कारण के अनुपस्थित रहते है तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है एवं तदनुसार नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी। अपना पक्ष रखने हेतु संचरण जोन, पटना में स–समय उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,

(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

नोटिस

पत्रांक 1048 /पटना, दिनांक 07/08/19 /
संजोप/सहायक/सहायक परिचालक/41/2015 पार्ट–2

प्रेषक,

अभि० अरूण कुमार चौधरी
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता,

निबंधित डाक सेवा में,

श्री गणेश प्रसाद,
पुत्र– श्री रविन्द्र राय
ग्राम– विरस, पो०–सराय
थाना–सराय, हाजीपुर जिला–वैशाली (बिहार)

विषयः– आई० टी० आई० मूल शैक्षणिक प्रमाण–पत्र के सत्यापन के संबंध में नोटिस।

प्रसंग :– 1. संचरण जोन, पटना का नियोजन सूचना सं०–01/09 एवं का०आ०सं०–40 दिनांक–21.02.2019
2. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना का का०आ०सं०–395 दिनांक–15.04.19

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के प्रासंगिक कार्यालय आदेश द्वारा उसमें विर्निर्दिष्ट शर्तो के अधीन दि0–01.04.2015 के प्रभाव से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 के अधीन सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर अनुबंध पर कार्य कर रहें कामगारो को सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर नियमितिकरण किया गया। नियमितिकरण का उक्त आदेश की कण्डिका–(VIII) में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट है:– "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.".

उक्त कार्यालय आदेश के अंतिम पारा के तहत नियमित किये गये कामगारो को कण्डिका–(IX) में उल्लेखित अन्य अभलेखो को महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना के कार्यालय में दिनांक–30.04.2015 तक समर्पित करना था।

उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के क्रमांक–59 द्वारा आपका भी सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर नियमितिकरण किया गया। तदनुसार, निर्देशानुसार आपके एवं अन्य नियमित कामगारो द्वारा वांछित अभिलेखो सहित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति समर्पित किया गया, जिसका सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 **(कमांक–24)** द्वारा आपका आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र के संदर्भ में सूचित किया गया कि प्रमाण–पत्र **"निर्गत नहीं"** है।

चूँकि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार पटना के उक्त पत्रांक–2069 दिनांक– 16.09.2015 में कतिपय कर्मियो के संबंध में लिप्त लेखन परिलक्षित हुआ, तदनुसार उनके पत्र की सम्पुष्टि हेतु परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना से संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1311 दिनांक–22.09.2015 द्वारा अनुरोध किया गया। तदालोक में परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के पत्रांक–171 दिनांक–16.02.2016 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016 द्वारा आपका प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं०–59 दि0–16.09.2016 द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त वृत्तांत के लगभग दो वर्षो के बाद पुनः सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, नियोजन भवन, चतुर्थ तल, B ब्लॉक, बेली रोड, पटना के पत्रांक–697 दि0–24.07.2018 द्वारा सम्पुष्ट किया गया कि श्री **प्रसाद** का (आपका) ITI प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र **जाली है एवं निर्गत नहीं** किया गया है।

352

तत्पश्चात उक्त दोनो सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक–1096 दि0 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना से मामले की पुनर्जांच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जिसके आलोक में उनके पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 के द्वारा गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त पत्र के **क्रम संख्या–56** द्वारा आपके संबंध में यह प्रतिवेदित किया गया है कि आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र **"निर्गत नहीं"** है तथा निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत पत्रांक–171 दि0–16.02.2016 फर्जी है तथा किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि आपके संबंध में निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से पूर्व में निर्गत पत्रांक–272 दि0–21.03.2016 भी फर्जी है।

विदित हो कि इसके पूर्व संचरण जोन, पटना के **नियोजन सूचना संख्या–01/09** के अन्तर्गत संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–78 दिनांक–18.05.2010 के द्वारा आपका तथा अन्य अभ्यर्थियो का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध के रूप में नियोजन किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश संख्या–78 दिनांक–18.05.2010 की कंडिका–06 में निम्न शर्त विर्निदिष्ट था– "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

सम्प्रति, परीक्षा नियंत्रक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, दीघा, पटना के पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 द्वारा संसूचित प्रतिवेदन के आलोक में प्रकाश में आयी उपरोक्त तथ्यो के आधार पर आपका शैक्षणिक प्रमाण–पत्र फर्जी रहने तथा आपके द्वारा किये गये जालसाजी के आरोप के मामले में सम्यकपूर्वक पूर्ण समीक्षोपरान्त संचरण जोन, पटना के **का0आ0सं0–40 दिनांक–21.02.2019** द्वारा (i) सहायक परिचालक (अनुबंध) पर नियोजन का कार्यालय आदेश संख्या–78 दिनांक–18.05.2010 की कंडिका–06 के आलोक में आपके संविदा नियोजन की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से तथा (ii) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना का का0आ0सं0–395 दिनांक–15.04.2015 की कण्डिका–VIII में निहित शर्त के अधीन नियमितिकरण की तिथि के भुतलक्षी प्रभाव से आपका नियोजन रदद कर दिया गया।

नियोजन रदद किये जाने का आदेश के विरूद्ध दायर CWJC N0-1421/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक–16.05.2019 को पारित आदेश के आलोक में **का0आ0सं0–40 दिनांक–21.02.2019** को को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। परन्तु न्यायादेशानुसार इसका आशय कंपनी की सेवा में आपकी पुनर्बहाली नहीं होगी। साथ ही न्याय आदेश के अनुपालन में आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को त्रुटिपूर्ण/फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में आपको अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया हैं।

अतएव एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक–27.08.2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में अपना लिखित जबाव, मूल आई0टी0आई प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश की मूल/सत्यापित प्रति एवं अपना वैध पहचान–पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय–कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित तिथि एवं समय को आप बिना उपर्युक्त कारण के अनुपस्थित रहते है तो यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है एवं तदनुसार नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी। अपना पक्ष रखने हेतु संचरण जोन, पटना में स–समय उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

03/10/19

(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

कार्यालय
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

नोटिस

पत्रांक———————————/पटना, दिनांक———————————/
संजोप/सा0शा0/सहायक परिचालक/41/2015 पार्ट–2

प्रेषक,

अभि0 अरूण कुमार चौधरी
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता,

निबंधित डाक

सेवा में,

श्री मनमोहन सिंह यादव,
पुत्र– श्री रामायण सिंह,
ग्राम– दुलहपुर, पो0–दुलहपुर,
थाना–सिमरी, जिला–बक्सर, (बिहार)

विषयः– **आई0 टी0 आई0 मूल शैक्षणिक प्रमाण–पत्र के सत्यापन के संबंध में नोटिस।**

प्रसंग :– संचरण जोन, पटना का नोटिस पत्रांक–1058 दिनांक–07.08.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि आपके शैक्षणिक प्रमाण–पत्र का फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में इस कार्यालय के प्रासंगिक नोटिस पत्र द्वारा आपको अपना लिखित जबाव समर्पित करने हेतु निर्धारित तिथि दिनांक–27.08.2019 के स्थान पर टंकण भूलवश दिनांक–27.08.2014 अंकित हो गया है।

अतएव सूचित करना है कि प्रासंगिक नोटिस पत्र में लिखित जबाव/पक्ष प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक–27.08.2014 के स्थान पर दिनांक–27.08.2019 पढ़ा जाय तथा दिनांक–27.08.2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में अपना लिखित जबात तथा सभी वांछित अभिलेखो के साथ उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

विश्वासभाजन
ह0/–
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता

ज्ञापांक 1090 पटना, दिनांक 13/8/19/

प्रतिलिपि– महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0, पटना को इस कार्यालय के ज्ञापांक–1047 दिनांक–07.08.2019 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि ज्ञापांक–1047 दिनांक–07.08.2019 के द्वारा प्रेषित नोटिस पत्र (19 पत्र) के साथ ही उपरोक्त संशोधित नोटिस पत्र को भी कंपनी के बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु आई0टी0 विभाग को निर्देश देने की कृपा की जाय।

अनु0– तथैव।

(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

Scanned by CamScanner

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

कार्यालय

महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता

संचरण जोन, पटना।

नोटिस

पत्रांक– 1089 /पटना, दिनांक– 13/8/19 /

संजोप/सा0शा0/सहायक परिचालक/41/2015 पार्ट–2

प्रेषक,

अभि0 अरूण कुमार चौधरी

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता,

निबंधित डाक

सेवा में,

श्री मनमोहन सिंह यादव,

पुत्र– श्री रामायण सिंह,

ग्राम– दुलहपुर, पो0–दुलहपुर,

थाना–सिमरी, जिला–बक्सर, (बिहार)

विषयः– आई0 टी0 आई0 मूल शैक्षणिक प्रमाण–पत्र के सत्यापन के संबंध में नोटिस।

प्रसंग :– संचरण जोन, पटना का नोटिस पत्रांक–1058 दिनांक–07.08.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि आपके शैक्षणिक प्रमाण–पत्र का फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में इस कार्यालय के प्रासंगिक नोटिस पत्र द्वारा आपको अपना लिखित जबाव समर्पित करने हेतु निर्धारित तिथि दिनांक–27.08.2019 के स्थान पर टंकण भूलवश दिनांक–27.08.2014 अंकित हो गया है।

अतएव सूचित करना है कि प्रासंगिक नोटिस पत्र में लिखित जबाव/पक्ष प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक–27.08.2014 के स्थान पर दिनांक–27.08.2019 पढ़ा जाय तथा दिनांक–27.08.2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में अपना लिखित जबाव तथा सभी वांछित अभिलेखो के साथ उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

विश्वासभाजन

13/8/19

(अरूण कुमार चौधरी)

महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता

Scanned by CamScanner